

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2016—पौष 2, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्र. ई-5-573-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एफ्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2016 द्वारा दिनांक 21 से 24 नवम्बर 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2016 तक पांच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री मलय श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन

विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथोरिटी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एफ्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एफ्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा उक्त से प्रभार से मुक्त होंगे।

4875

(5) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2016

क्र. एफ 1(ए)147-1990-ब-2-दो.—श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, भोपाल को दिनांक 28 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2016 तक छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 27 नवम्बर तथा 4 दिसम्बर 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. एफ 1(ए)40-2003-ब-2-दो.—श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर को दिनांक 12 से 21 दिसम्बर 2016 तक दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 10 तथा 11 दिसम्बर 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक सागर जोन सागर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक सागर जोन सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सतीश कुमार सक्सेना, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

क्र. एफ 1(ए)393-88-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक एवं प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल को खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2016 के अन्तर्गत गृह नगर भुवनेश्वर (उड़ीसा) जाने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर 2016 से 7 जनवरी 2017 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर 2016 एवं 8 जनवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक एवं प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

फा.क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक)-3822-2016.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 7, 18, 31 तथा 48 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्र.	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/ सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
7	श्री रामलाल यादव, विशेष अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मंदसौर.	विशेष न्यायाधीश,	मंदसौर मंदसौर
18	श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, विशेष अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, देवास.	विशेष न्यायाधीश,	देवास देवास
31	श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विशेष अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया.	विशेष न्यायाधीश,	दतिया दतिया
48	श्री विजय कुमार अग्रवाल, विशेष अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा.	विशेष न्यायाधीश,	हरदा हरदा

F.No.1-6-89-XXI-B(1)3822-2016.—In Exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification No. F.1-6/89-XXI-A(1) dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April 1998, namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification in the Schedule, for serial numbers 7, 18, 31 and 48 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Shri Ramlal Yadav, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Mandsaur.	Mandsaur	Mandsaur
18	Shri Yogesh Chandra Gupta, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Dewas.	Dewas	Dewas
31	Shri Dhirendra Kumar Shrivastava, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Datia.	Datia	Datia
48	Shri Vijay Kumar Agrawal, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Harda.	Harda	Harda

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2016

फा.क्र. 4042-2016-इक्कीस-ब(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्तों) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5(1)(ग) के अंतर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर नियुक्त करता है :—

1. श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी
2. श्री रमा जयंत मित्तल
3. श्रीमती संगीता यादव
4. श्री आलोक मिश्रा
5. श्री अब्दुल कादीर मंसूरी

उक्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट पिटिशन क्रमांक 308/2016, रिट पिटिशन नं. 5092/2016 तथा आर.पी.नं. 248/2016 में पारित आदेश 29 अप्रैल 2016 के अनुसरण में यह नियुक्तियां उक्त प्रकरणों में अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी.

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 13), राज्य शासन, सुश्री प्रीती मिश्रा पिता श्री देवनारायण मिश्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला चित्रकूट (उ.प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 03 जनवरी 1990 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 20), राज्य शासन, श्रीमती राखी देवलिया पिता श्री रासबिहारी देवलिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर (म.प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 24 सितम्बर 1991 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 23), राज्य शासन, श्रीमती मनीषा जैन पति श्री अवधेश कुमार तिवारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 24 मार्च 1984 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 32), राज्य शासन, सुश्री रेनु खान पिता श्री अलाउद्दीन खान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (म.प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 31 दिसम्बर 1984 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 34), राज्य शासन, श्री राजीव पटेल पिता श्री रामगोपाल पटेल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (म.प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 25 अप्रैल 1981 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 35), राज्य शासन, श्री सुशील गेहलोत पिता श्री सूरज सिंह गेहलोत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी (म.प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 05 नवम्बर 1991 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 50), राज्य शासन, सुश्री आरती आर्य पिता श्री गौरीशंकर आर्य को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 01 जनवरी 1983 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 51), राज्य शासन, सुश्री पूर्णिमा कोठे पिता श्री रामेश्वर कोठे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला खरगोन (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 21 जुलाई 1986 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 52), राज्य शासन, सुश्री सरिता डावर पिता श्री वेस्ता डावर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 15 मार्च 1991 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 72), राज्य शासन, सुश्री उषाकांता बैरागी पिता श्री जंगलीराम बैरागी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला देवास (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 04 जुलाई 1991 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 73), राज्य शासन, श्री ललित कुमार मईड़ा श्री मानसिंह मईड़ा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 30 जनवरी 1983 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 77), राज्य शासन, श्री गजेन्द्र रावत पिता श्री इंदरसिंह रावत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला अलिराजपुर (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 03 फरवरी 1984 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 78), राज्य शासन, सुश्री नेहा मोर्य पिता श्री प्रतापसिंह मोर्य को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला अलिराजपुर (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 23 मार्च 1990 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 81), राज्य शासन, श्री राकेश भिड़े पिता श्री भेरू सिंह भिड़े को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला धार (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 04 मार्च 1989 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-11-21-2016-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शियेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	छतरपुर	नौगांव	मऊसहानियां	तपसी का मंदिर	2469/2	1.00 हेक्टेयर	राजेन्द्र पिता बुद्ध प्रकाश तिवारी (निजी).	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 01-अ-3-2016-17

आदेश

(पारित दिनांक 2 दिसम्बर 2016)

प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, सैलाना से उनके प्रकरण क्रमांक 34-बी-121-16-17 में अनुशांसा टीप दिनांक 10 नवम्बर 2016 सहित तहसीलदार, तहसील सैलाना के जांच प्रतिवेदन दिनांक 10 नवम्बर, 2016 सहित प्राप्त.

2. अधीनस्थ तहसीलदार, तहसील सैलाना द्वारा ग्राम पंचायत, खेड़ीकला के ग्राम भोजपुरा के मजरा धावडिया को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु राजस्व निरीक्षक से प्रस्ताव प्राप्त किया गया। तहसीलदार, सैलाना द्वारा संपूर्ण जांच उपरान्त मय अनुशंसा के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, सैलाना को भेजे जाने पर उनके द्वारा तहसीलदार, तहसील सैलाना के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को भिजवाया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय के जांच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के तहत नीचे उल्लेखानुसार ग्राम पंचायत खेड़ीकला के ग्राम भोजपुरा के मजरा धावडिया को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है। तालिका में उल्लेखानुसार शेष रकबा मूल ग्राम भोजपुरा में यथावत रहेगा :—

तहसील	मूल ग्राम एवं प.ह.नं.	प्रस्तावित राजस्व ग्राम	खाता	गैर खाता	सर्वे नंबर खाता	सर्वे नंबर खाता	मूल ग्राम से दूरी	जनसंख्या	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
सैलाना	भोजपुरा, प.ह.नं. 26.	धावडिया	18.15	881.28	27	268	20	215	-

अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला रतलाम उक्त राजस्व ग्राम के अभिलेख तैयार करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. 1275.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति लश्कर, जिला ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 8 के उप निर्वाचन 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती गुड्डी राजे पत्नी श्री श्रीलाल राजे	कृषक सदस्य	ग्राम गणेशपुरा, पोस्ट बड़ागांव, मुरार, जिला ग्वालियर, म. प्र.

शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वा.).

कार्यालय, कलेक्टर / जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. 404-मण्डी निर्वाचन-2016.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं भरत यादव, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) कृषि उपज मण्डी समिति, कटंगी के लिये एतद्वारा निम्नलिखित प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र.	मण्डी समिति का नाम	नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कटंगी	श्री शंकरलाल ठाकरे पिता श्री भैयालाल ठाकरे, ग्राम पो. मानेगांव, तह. कटंगी, जिला बालाघाट.	विधायक कटंगी	नियम 2010 का नियम 4.

भरत यादव, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 29 सितम्बर 2016

प्र. क्र. 11401-अ-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम जामनघाटी, तहसील धार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम—जामनघाटी

तहसील—धार, जिला धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31)के निर्माण में प्रभावित होने से	1.070	0.000	1.070
	योग	1.070	0.000	1.070

अनुसूची (2)

नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम जामनघाटी तहसील धार की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बाबू, पोपडिया, खन्डू, छोटिया, जसमाबाई पिता गोपाल व मांगीबाई पति स्व. गोपाल, दारासिंह पिता बन्डू, कार्तिकबाई पति स्व. बान्डू जाति भील निवासी जामनघाटी.	55/1	1.581	0.000	1.581	0.011	0.000	0.011
2	सुनिल, जमना पिता रमेश व, द्रोपतीबाई पति स्व. रमेश, मुन्ना, लक्ष्मण, जंगल्या पिता टुटला जाति भील निवासी जामनघाटी.	55/2	1.037	0.000	1.037	0.106	0.000	0.106
3	गोदिया पिता सुरजी, रूपसिंग, फत्य, पिता कटुया, बाबू पोपडिया, खन्डू छोटिया, जसमाबाई पिता स्व. गोपाल मांगीबाई पति स्व. गोपाल, दारासिंह पिता बन्डू,	36 43 46 47	0.291 0.759 1.012 2.010	0.000 0.000 0.000 0.000	0.291 0.759 1.012 2.010	0.078 0.189 0.105 0.069	0.000 0.000 0.000 0.000	0.078 0.189 0.105 0.069

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	कार्तिकबाई पति स्व. बान्द्रू रूपसिंह काल्या, सायरबाई पति स्व. काल्या, इसराम पिता मानसिंह, धनसिंह पिता थावरिया, रूगनाथ, श्याम पिता बुधा, दुबल्या, पण्डया, राधु, कान्जी पिता सुखराम, काली, धापू, कोमलबाई पिता सुखराम, सेतुल पिता भीमा, गब्बु, मोहन, राजल्या पिता प्रताप, फुन्दीया पिता छोगिया, सायबा, गोबरिया, बल्लू, रतन, कला पिता छोगिया, जाति भील निवासी जामनघाटी.							
4	रजवा पिता सायबा जाति भील निवासी जामनघाटी.	88/1	0.300	0.000	0.300	0.209	0.000	0.209
5	धुलीबाई पति विश्राम जाति भील निवासी जामनघाटी.	87	0.784	0.000	0.784	0.066	0.000	0.066
6	तेरसिंह, काल्या राधेश्याम पिता कोदर, केशरबाई पति स्व. कोदर, छोगिया पिता घिसिया, कमलीबाई पति स्व मुलचन्द्र, दलसिंह, भीमा पिता मुलचन्द्र, कमलीबाई, गल्या पिता रूमाल जाति भील निवासी जामनघाटी.	69	0.304	0.000	0.304	0.020	0.000	0.020
7	भेरूसिंह, भारत, भानु पिता बद्री, मकुन्द पिता थावरिया, शांताबाई पति स्व. बद्री जाति भील निवासी जामनघाटी.	10 11 28	2.174 2.036 0.126	0.000 0.000 0.000	2.174 2.036 0.126	0.027 0.056 0.033	0.000 0.000 0.000	0.027 0.056 0.033
8	कैलाश पिता छोगालाल जाति भील निवासी जामनघाटी.	25	0.240	0.000	0.240	0.002	0.000	0.002
9	नानूराम पिता बाबू जाति भील निवासी जामनघाटी.	16	0.405	0.000	0.405	0.064	0.000	0.064
10	रूपसिंह पिता काल्या, उमराव, दरियाव, नन्दराम, अमीचंद पिता माल्या, बोन्दरीया, सुखदेव, आसाराम पिता नागरीया,	15	2.415	0.000	2.415	0.005	0.000	0.005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	केंगाबाई पति स्व. नागरीया, धारिया पिता बन्डू, कार्तिबाई पति स्व. बन्डू, नानुराम, आशाराम बालू, लालसिंह पिता फतू व बाबु पोपडिया, खुन्डू, छोटिया पिता गोपाल, मांगीबाई पति स्व. गोपाल इसराम, सुखराम, गुजरा, रजवा, किशन, जानीबाई पिता सावल्या, पानाबाई, पति स्व. सावल्या, अन्नपूर्णा पति स्व. नगजी, दया पिता मुलचन्द जाति भील निवासी जामनघाटी.							
11	बाबु पिता गुलजी, लक्ष्मण पिता मोर्य, दल्लूबाई पति स्व. मोर्य जाति भील निवासी जामनघाटी.	18	1.201	0.000	1.201	0.030	0.000	0.030
		योग . .	16.675	0.000	16.675	1.070	0.000	1.070

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 1 दिसम्बर 2016

(भू-अर्जन हेतु मध्यप्रदेश शासन की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" अन्तर्गत)

क्र. 2786-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम—अम्बाडा, तहसील—कन्नौद, जिला—देवास, कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जन योग्य भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कृषि भूमि	श्री वहीद खां पिता गफुर खां	253/2	0.04
2	कृषि भूमि	श्री इकबाल पिता एहमद मेवाती	81/4	0.21
3	कृषि भूमि	श्री समीद पिता गफुर मेवाती	81/3	0.13

कुल सर्वे नम्बर 03—कुल प्रस्ताव 01

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अन्तर्गत ग्राम अम्बाडा की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2792-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी नहर परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम—बुरूट, तहसील—कन्नौद, जिला—देवास, कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कृषि भूमि	श्री अरूण पिता चम्पालाल	66/1	0.17
2	कृषि भूमि	श्री गनेश पिता चम्पालाल	66/2	0.66
3	कृषि भूमि	श्री संतोष पिता चम्पालाल जाति ब्राह्मण	66/3	0.008
4	कृषि भूमि	श्री भजुराम पिता रंगलाल	65/1	0.03
5	कृषि भूमि	श्री रामबक्स, रामस्वरूप पिता रंगलाल	65/2	0.04
6	कृषि भूमि	श्री नत्थुसिंह कमलाबाई पिता मांगीलाल	62	0.07
7	कृषि भूमि	श्री हरीराम पिता हीरालाल राधेश्याम पिता हिरालाल जाति	61	0.24
8	कृषि भूमि	श्रीमती धाडबाई पिता पैमा पति जेता	14/2	0.066
9	कृषि भूमि	श्री कैलाश पिता जेता जाट	13/3	0.079
10	कृषि भूमि	श्री मौजीराम पिता जेता	16/1	0.026
11	कृषि भूमि	श्री मौजीराम पिता जेता बशरह	16/3	0.048
12	कृषि भूमि	श्री राहुल पिता मौजीराम	17/2	0.04
13	कृषि भूमि	श्री भुजराम पिता ऊंकार जाति जाट	21	0.01
14	कृषि भूमि	श्री भुजराम पिता ऊंकार जाति जाट	22	0.11
15	कृषि भूमि	कमलाबाई वि. हरीप्रसाद संतोष छगन कपील ब्रजेश रूखमणीबाई प्रभावति बाई किरणबाई पिता हरीप्रसाद.	27/1	0.02
16	कृषि भूमि	श्री रामनिवास पिता बद्रीप्रसाद	29	0.44
17	कृषि भूमि	श्री रामविलास पिता बद्रीनारायण	330	0.21
18	कृषि भूमि	श्री रामविलास पिता बद्रीनारायण	331	0.11
19	कृषि भूमि	श्री रामप्यारीबाई, वि. खुशाल, सुगनाबाई पति लक्ष्मीनारायण शिवनारायण, मोहनलाल रामनिवास, श्रीनारायण, भगवतीबाई, लक्ष्मीबाई, कमलाबाई, गीताबाई, शान्ताबाई पिता जगदीश.	332	0.22
20	कृषि भूमि	रामप्यारीबाई, वि. खुशाल, सुगनाबाई पति लक्ष्मीनारायण शिवनारायण, मोहनलाल रामनिवास, श्रीनारायण, भगवतीबाई, लक्ष्मीबाई, कमलाबाई, गीताबाई, शान्ताबाई पिता जगदीश.	371	0.17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	कृषि भूमि	रामप्यारीबाई, वि. खुशाल, सुगनाबाई पति लक्ष्मीनारायण शिवनारायण, मोहनलाल रामनिवास, श्रीनारायण, भगवतीबाई, लक्ष्मीबाई, कमलाबाई, गीताबाई, शान्ताबाई पिता जगदीश.	373	0.13
22	कृषि भूमि	श्री श्रीराम बाबूलाल जाति जाट	374	0.20
23	कृषि भूमि	श्री मोहनलाल पिता जगदीश जाति जाट	392	0.21

कुल सर्वे नम्बर 23—कुल प्रस्ताव 01

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी नहर परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अन्तर्गत ग्राम बुरूट की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

देवास, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

क्र. 2836-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के नहर अन्तर्गत निर्माण के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम—खारपा, तहसील—कन्नौद, जिला—देवास, कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जन योग्य भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कृषि भूमि	श्री सुखलाल पिता गेंदालाल	308	0.16

कुल सर्वे नम्बर 01—कुल प्रस्ताव 01

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अन्तर्गत ग्राम खारपा की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2830-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम—रायपुरा, तहसील—कन्नौद, जिला—देवास, कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जन योग्य भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कृषि भूमि	श्री भागमल पिता असरफ मेवाती	199	0.14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि भूमि	श्री अजीज पिता अशरफ मेवाती	219/1	0.18
3	कृषि भूमि	श्री नूरीबाई बेवा खाजु, गफुरी पुत्री खाजु मेवाती	116	0.04
4	कृषि भूमि	श्री एहमद पिता नजीम खां सद्दाम पिता एहमद खां अ.प.का पिता एहमद पिता नजीम मेवाती	115/1	0.07

कुल सर्वे नम्बर 04—कुल प्रस्ताव 01

- (1) उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी नहर परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अन्तर्गत ग्राम रायपुरा की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 2852-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में दतूनी परियोजना नहर फेस-2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

दतूनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस-2 निर्माण

ग्राम—बुरूट

तहसील—कन्नौद

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	0.280	—	0.280
		योग . .		0.280
2	शासकीय भूमि	—	—	—
		महायोग . .	0.280	0.280

अनुसूची (2)

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	श्री कमलेश पिता जगन्नाथ जाट	13/1	सिंचित	—	2.910	सिंचित	—	0.060
2	श्रीमती मंजूबाई पति शंकरलाल जाट.	13/2	सिंचित	—	1.960	सिंचित	—	0.060
3	श्री ओमप्रकाश पिता देवा जाति कुम्हार.	18/1	सिंचित	—	0.330	सिंचित	—	0.100
4	श्री ओमप्रकाश पिता देवा जाति कुम्हार.	20	सिंचित	—	0.670	सिंचित	—	0.060
					योग . .	5.870		0.280

प्र. क्र. 2846-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में दतुनी परियोजना नहर फेस-2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस-2 निर्माण

ग्राम—गादिया

तहसील—कन्नौद

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित (3)	असिंचित (4)	कुल (5)
(1)	(2)			
1	निजी भूमि	0.470	—	0.470
			योग . .	0.470
2	शासकीय भूमि	—	—	—
		महायोग . .	0.470	0.470

अनुसूची (2)

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि		
			सिंचित (4)	असिंचित (5)	कुल (6)	सिंचित (7)	असिंचित (8)	कुल (9)
(1)	(2)	(3)						
1	श्री अब्दुल पिता नसीब जाति मेवाती.	178	सिंचित	—	5.120	सिंचित	—	0.110
2	श्री अफजल खां पिता अब्दुल खां जाति मेवाती.	209/2	सिंचित	—	0.370	सिंचित	—	0.070
3	श्री अफजल खां पिता अब्दुल खां जाति मेवाती.	210/1	सिंचित	—	2.430	सिंचित	—	0.090
4	श्रीमती बिरजीबाई बेवा रामनारायण जाति नावड़ा.	211/1	सिंचित	—	0.800	सिंचित	—	0.040
5	श्री शैलेन्द्र पिता मोहनलाल जाति महाजन.	194	सिंचित	—	1.010	सिंचित	—	0.070
6	श्री कैलाश पिता घिसिया राधाकिशन पिता घिसिया.	183	सिंचित	—	1.290	सिंचित	—	0.070
7	श्री कैलाश पिता घीस्या राधाकिशन घीस्या जगदीश पिता घीस्या जाति भिलाला.	346/1	सिंचित	—	1.930	सिंचित	—	0.020
			योग . .		12.95			0.470

प्र. क्र. 2858-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में दतुनी परियोजना नहर फेस-2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस-2 निर्माण

ग्राम—कोठड़ा

तहसील—कन्नौद

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	1.233	—	1.233
			योग . .	1.233
2	शासकीय भूमि	—	—	—
		महायोग . .	1.233	1.233

अनुसूची (2)

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	श्री मजीत खाँ केसु खाँ	302/3	सिंचित	—	2.320	सिंचित	—	0.200
2	श्रीमती शोभाबाई मोहनलाल	301/3/1	सिंचित	—	1.920	सिंचित	—	0.060
3	श्री चांद खाँ इस्माइल खाँ	293	सिंचित	—	2.740	सिंचित	—	0.300
4	श्री मेहबूब खाँ फूल खाँ	290/2	सिंचित	—	1.200	सिंचित	—	0.130
5	श्री संजय घनश्याम बंसल निवासी इन्दौर.	347/1	सिंचित	—	1.950	सिंचित	—	0.090
6	श्री संजय घनश्याम बंसल निवासी इन्दौर.	347/2	सिंचित	—	0.770	सिंचित	—	0.030
7	श्रीमती मधु पति संजय बंसल	353/1	सिंचित	—	0.610	सिंचित	—	0.050
8	श्रीमती मधु पति संजय बंसल	353/2	सिंचित	—	1.010	सिंचित	—	0.080
9	श्री इकबाल पिता छोटे खाँ जाति फकीर.	60/1	सिंचित	—	1.000	सिंचित	—	0.060
10	श्री असमल पिता छोटे खाँ	60/2	सिंचित	—	0.990	सिंचित	—	0.088
11	श्री जाकिर पिता छोटे खाँ जाति फकीर.	60/3	सिंचित	—	0.990	सिंचित	—	0.079
12	श्री सोहराब पिता छोटे खाँ जाति फकीर.	60/4	सिंचित	—	0.990	सिंचित	—	0.066
			योग . .		16.49			1.233

प्र. क्र. 2864-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में दतुनी परियोजना नहर फेस-2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस-2 निर्माण

ग्राम—खारपा

तहसील—कन्नौद

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	0.850	—	0.850
		योग . .		0.850
2	शासकीय भूमि	—	—	—
		महायोग . .	0.850	0.850

अनुसूची (2)

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	श्री अब्बास पिता अब्दुल रहमान जाति मेवाती.	5	सिंचित	—	2.590	सिंचित	—	0.170
2	श्री शब्बीर पिता गोटिया जाति मेवाती.	9	सिंचित	—	3.250	सिंचित	—	0.190
3	श्री शब्बीर पिता गोटिया जाति मेवाती.	10	सिंचित	—	5.670	सिंचित	—	0.250
4	श्री मासुरा छोटा हमीद पिता चांद खां सुगन हल्ली मिस्सर वसीया.	174	सिंचित	—	0.160	सिंचित	—	0.020
5	श्री मासुरा छोटा हमीद पिता चांद खां सुगन हल्ली मिस्सर वसीया.	173	सिंचित	—	0.250	सिंचित	—	0.040
6	श्री आमीन पिता मेहबूब खां जाति मेवाती.	304/3	सिंचित	—	1.200	सिंचित	—	0.090
7	श्री आलम पिता मेहबूब खां जाति मेवाती.	304/4	सिंचित	—	1.200	सिंचित	—	0.090
						योग . .	14.320	0.850

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

प्र. क्र. 02-अ-82-2015-2016-E.N.-286.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में जावरा सीतामड मार्ग योजना तहसील सीतामड, जिला मंदसौर की रोड योजनान्तर्गत ग्राम राजनगर के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम—राजनगर

तहसील—सीतामड

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम राजनगर	0.22 हेक्टर	—	0.22 हेक्टर

जावरा सीतामड रोड निर्माण योजना ग्राम राजनगर

अनुसूची (2)

जावरा सीतामड मार्ग निर्माण योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नंदलाल पिता मोहनलाल व भागुबाई बैवा मोहनलाल जाति तैली निवासी राजनगर.	1076/2	0.22	0.22	—	0.22
योग . .			0.22	0.22	—	0.22

ग्राम राजनगर

भूमि के नक्शे का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सीतामड के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

रा. प्र. क्र.-11-अ-82-2016-2017-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये

जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
जिला	तहसील	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-चिखली प. ह. नं.-11, ब. नं.-127, रा. नि. मं.- सौंसर.	भोलेनाथ पिता संतोषनाथ तेली, निवासी-मोहगांव भूमिस्वामी. 2. घनश्याम पिता तुलसीराम मु. लहानीबाई वि. तुलसीराम निवासी मोहगांव भूमिस्वामी.	214/4 250/2	0.044 0.177	मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					0.221	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र.-12-अ-82-2016-2017-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
जिला	तहसील	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-सिंगपुर, प. ह. नं.-14, ब. नं.-390, रा. नि. मं.- सौंसर.	प्रवीण, रूपेश पिता अरूण ब्रम्हे तेली निवासी-मोहगांव भूमिस्वामी. 2. किशोर पिता नत्थू डोरले तेली निवासी-मोहगांव भूमिस्वामी.	102/2 102/3	0.150 0.100	मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					0.250	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्र. 10144-भू-अर्जन-2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्र. क्र. अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम डूंगरपुर के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची (1)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि : ग्राम डूंगरपुर

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शेष भूमि	27.459	मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण.

कुल योग . . 27.459

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि : ग्राम डूंगरपुर

स. क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	कुल प्रभावित भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अनोख सिंह पिता बंशीलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	260/3/1/1	0.189	0.189
	योग . .	1	0.189	0.189
2	सरदारबाई पति मोहनलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	53/1	0.800	0.470
	योग . .	1	0.800	0.470
3	देवीलाल आ. मागीलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	50/1/1/1	1.000	0.330
	योग . .	1	1.000	0.330

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	रामसिंह आ. समदा जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	63/1/1 268/2/4	0.445 0.506	0.445 0.506
	योग . .	2	0.951	0.951
5	दिलीपसिंह पिता इन्दरसिंह जाति सो. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	85/4/1 152/1	0.001 0.051	0.001 0.051
	योग . .	2	0.052	0.052
6	रामबाबू पिता बंशीलाल जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	136/2/3/1 260/3/1/3 360/3/2	0.044 0.190 0.217	0.044 0.190 0.217
	योग . .	3	0.451	0.451
7	बंशीलाल आ. भेरूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	148/2/1	0.019	0.019
	योग . .	1	0.019	0.019
8	रामेश्वर पिता विजय जाति सोंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	370/2/1	0.123	0.123
	योग . .	1	0.123	0.123
9	अमृतलाल पिता दोलजी जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	343/2/3	0.018	0.018
	योग . .	1	0.018	0.018
10	अमृत पिता प्यारजी जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	305/4/2 344/3/2 307/4/2	0.286 0.015 0.391	0.286 0.015 0.300
	योग . .	3	0.692	0.601
11	विजयसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	72/3/2 72/2/2	0.380 0.332	0.380 0.332
	योग . .	2	0.712	0.712
12	बंशीलाल, कन्हैयालाल पिता गेन्दालाल, कमरीबाई बेवा गेन्दालाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	314/2/1	0.007	0.007
	योग . .	1	0.007	0.007
13	रामनारायण पिता बंशीलाल जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	360/3/1 260/3/1/2 330/1/2/1	0.033 0.190 0.001	0.033 0.190 0.001
	योग . .	3	0.224	0.224

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	अनारसिंह पिता गंगाराम सोधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	286/1/1/1	0.148	0.148
	योग . .	1	0.148	0.148
15	इन्दरसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	377/1/1/1	0.031	0.031
	योग . .	1	0.031	0.031
16	इन्दरसिंह, आ. करणसिंह, कंचनबाई बेवा करणसिंह, प्रेमसिंह, बीरम पर्वत, पिता हजारीलाल बंशीलाल आ. भेरूसिंह हि. 1/2 देवीलाल ए रामसिंह आ. मोतीलाल हि. 1/2 जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	88	0.114	0.114
	योग . .	1	0.114	0.114
17	कालूसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	285/2	0.259	0.259
	योग . .	1	0.259	0.259
18	कंवरलाल कुमेरसिंह धीरपसिंह पिता अमर सिंह मु. केशरबाई बेवा अमरसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	172/4	0.013	0.013
	योग . .	1	0.013	0.013
19	कुमेरसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	172/2/1	0.089	0.089
	योग . .	1	0.089	0.089
20	कैलाश पिता दोलजी जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	160/1	0.494	0.494
	योग . .	1	0.494	0.494
21	चन्द्रसिंह पिता बिहारीलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	183/4/4 64/2/4	0.011 0.003	0.011 0.003
	योग . .	2	0.014	0.014
22	गोपाल पिता मांगीलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	377/2/1	0.165	0.165
	योग . .	1	0.165	0.165
23	गजराजसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	304/2/2 344/4/2/2	0.208 0.008	0.208 0.008
	योग . .	2	0.216	0.216

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	हरिसिंह, नारानसिंह अमर पिता बापुलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	292/6/1	0.671	0.030
	योग . .	1	0.671	0.030
25	हरिसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	292/6/2/2 305/2/2/1	0.251 0.107	0.050 0.107
	योग . .	2	0.358	0.157
26	हिन्दूसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	292/6/3/1 305/3/2 307/3/2	0.352 0.287 0.391	0.050 0.287 0.300
	योग . .	3	1.030	0.637
27	देवीलाल पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	292/6/3/2	0.352	0.058
	योग . .	1	0.352	0.058
28	देवीलाल पिता कालू जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	260/1/6	0.235	0.235
	योग . .	1	0.235	0.235
29	दरियावसिंह पिता केशर जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	192/2 342/1	0.060 0.050	0.060 0.050
	योग . .	2	0.110	0.110
30	रामकलाबाई पति कमलसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	201/382/1/1 201/382/2/2	0.158 0.036	0.158 0.036
	योग . .	2	0.194	0.194
31	श्रीलाल पिता देवीलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	201/382/1/2 343/2/4 292/5/4 343/1/3	0.158 0.017 0.253 0.017	0.158 0.017 0.115 0.017
	योग . .	4	0.445	0.307
32	आनन्दीलाल पिता मांगीलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	319/4/1	0.146	0.146
	योग . .	1	0.146	0.146
33	दशरथ पिता देवीलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	305/3/1 307/3/1	0.286 0.390	0.286 0.300
	योग . .	2	0.676	0.586
34	दोलजी, देवीलाल आ. गंगाराम, सुन्दरबाई आ. गंगाराम जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	343/1/2	0.018	0.018
	योग . .	1	0.018	0.018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	प्रतापसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	287/2/2	1.264	1.264
	योग . .	1	1.264	1.264
36	प्रेमबाई पति दरियावसिंह जाति सोंध्या पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	175/3	0.126	0.126
	योग . .	1	0.126	0.126
37	लाखनसिंह पिता हरीसिंह मु. कृष्णाबाई बेवा हरीसिंह हजारी पिता कालू जाति सोंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	319/3 343/2/2	0.142 0.018	0.142 0.018
	योग . .	2	0.160	0.160
38	बनेसिंह आ. मोती जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	231/1	0.12	0.012
	योग . .	1	0.12	0.012
39	बंशीलाल कन्हैयालाल पिता गेन्दालाल, कमरीबाई बेवा गेन्दालाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	268/2/3	0.506	0.126
	योग . .	1	0.506	0.126
40	शिवसिंह आ. केसरसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	269/1/1	1.233	0.615
	योग . .	1	1.233	0.615
41	मांगीलाल पिता केसर जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	269/2	3.035	1.610
	योग . .	1	3.035	1.610
42	बनेसिंह पिता बापूलाल, बदनबाई बैवा बापूलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	273/3	3.035	2.800
	योग . .	1	3.035	2.800
43	सूरजसिंह रूपसिंह पिता प्रेमसिंह केशरबाई बेवा प्रेमसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	274 152/4/1	0.051 0.241	0.051 0.241
	योग . .	2	0.292	0.292
44	भंवरलाल आ. मांगीलाल जाति सोंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	287/1	5.969	2.410
	योग . .	1	5.969	2.410
45	बीरम पिता बापूलाल जाति सोंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	233	0.063	0.063
	योग . .	1	0.063	0.063
46	भंवरलाल पिता रामलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	377/1/2 378/1/2/1	0.330 0.029	0.330 0.029
	योग . .	2	0.359	0.359

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
47	भंवरलाल, देवीलाल, अमृतलाल पिता प्यारजी देवीलाल, हिन्दुसिंह पिता जगन्नाथ, नारानसिंह, हरिसिंह, पिता अनारसिंह जाति सौध्या पता निवास ग्राम पता भूमिस्वामी.	351/4/1	0.031	0.031
	योग . .	1	0.031	0.031
48	मोहनलाल पिता जगन्नाथ जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	276	0.062	0.062
	योग . .	1	0.062	0.062
49	मांगीलाल पिता भागचंद जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	303/3 303/10/1	0.400 0.010	0.400 0.010
	योग . .	2	0.410	0.410
50	रामकरण पिता हज़ारीलाल जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	343/1/4	0.017	0.017
	योग . .	1	0.017	0.017
51	राधेश्याम पिता जगदीश मु. गुलाबबाई बेवा जगदीश जाति सौध्या पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	254/1/1/1 265/2, 265/6 269/1/3 292/4/3	0.053 0.184 1.233 0.632	0.053 0.184 0.535 0.032
	योग . .	4	2.102	0.804
52	रामनारायण पिता मांगीलाल जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	343/2/1	0.017	0.017
	योग . .	1	0.017	0.017
53	रामनारायण, आनंदीलाल पिता मांगीलाल जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	341/2/1/1	0.094	0.094
	योग . .	1	0.094	0.094
54	रामेश्वर पिता प्रेमसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	160/2/2/1	0.010	0.010
	योग . .	1	0.010	0.010
55	लक्ष्मीनारायण पिता देवीलाल जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	277/2	0.092	0.092
	योग . .	1	0.092	0.092
56	जगदीश पिता रामसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	277/3	0.184	0.184
	योग . .	1	0.184	0.184

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
57	नारायनसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया पता निवास ग्राम भूमिस्वामी.	305/2/1/1	0.106	0.106
	योग . .	1	0.106	0.106
58	शान्ताबाई पति नारायणसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	260/1/5 284/5	0.633 0.632	0.633 0.632
	योग . .	2	1.265	1.265
59	सौरमबाई पति इन्दरसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	300/3 284/4	0.213 0.791	0.213 0.791
	योग . .	2	1.004	1.004
60	हेमराज, रामबाबू पिता शिवसिंह, मु. नोरंगबाई वि. शिवसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	315/1	0.402	0.402
	योग . .	1	0.402	0.402
61	हरिसिंह पिता बीरम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	303/6/1	0.070	0.070
	योग . .	1	0.070	0.070
62	हिम्मतसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	344/4/2/1	0.008	0.008
	योग . .	1	0.008	0.008
63	सूरजसिंह पिता विजयसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	192/4	0.060	0.060
	योग . .	1	0.060	0.060
64	हीरा, किसना आ. पुरा जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	200/1	0.010	0.010
	योग . .	1	0.010	0.010
65	हजारीलाल आ. बिहारीलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	378/2/3	0.017	0.017
	योग . .	1	0.017	0.017
66	हिन्दूसिंह पिता देवीलाल जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	277/1	0.091	0.091
	योग . .	1	0.091	0.091
67	घनश्याम पिता विजयसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	269/1/4	1.233	0.670
	योग . .	1	1.233	0.670

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
68	लाखनसिंह पिता दरियावसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	269/1/2	1.233	0.670
	योग . .	1	1.233	0.670
69	धीरपसिंह पिता अमरसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	172/3	0.198	0.198
	योग . .	1	0.198	0.198
70	प्यारजी पिता जगन्नाथ जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	260/2/1	0.010	0.010
	योग . .	1	0.010	0.010
71	बालूसिंह पिता बीरम, समरीबाई बैवा बीरम जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	303/2/1	0.070	0.070
	योग . .	1	0.070	0.070
72	भंवरलाल पिता प्यारजी जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	305/4/1 344/3/1 307/4/1	0.287 0.016 0.390	0.287 0.016 0.300
	योग . .	3	0.693	0.603
73	बापूसिंह पिता मांगीलाल जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	268/1	2.567	0.715
	योग . .	1	2.567	0.715
74	इन्दरसिंह पिता दरियाव जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	292/4/4	0.632	0.600
	योग . .	1	0.632	0.600
75	सैतान बाई पति हरिसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	50/1/1	1.088	1.088
	योग . .	1	1.088	1.088
76	प्यारजी, जगन्नाथ, भंवरसिंह पिता बाबरू हिस्सा 1/2 इन्दरसिंह, बैवा भारतसिंह कंचनबाई, बैवा करणसिंह प्यारजी पिता श्री देवा हिस्सा 1/2 जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	179	0.076	0.076
	योग . .	1	0.076	0.076
	कुल योग . .	107	40.922	27.459

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

क्र. 10149-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्र. क्र. अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम खाण्डियापुरा के लिए राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची (1)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य में प्रभावित भूमि : तहसील राजगढ़

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)		
1	खाण्डियापुरा	0.060	0.000	0.060
कुल योग . .		0.060	0.000	0.060

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य में प्रभावित भूमि

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बापूलाल पिता देवजी जाति सौंधिया	25/2	0.861	0.020	0.000	0.020
		26/2	0.151	0.012	0.000	0.012
2	रामसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया	27/5	0.379	0.028	0.000	0.028
योग . .			1.391	0.060	0.000	0.060

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10151-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम की लगदरिया एवं खीमाखेड़ी के लिए डूब क्षेत्र, एग्रोच चैनल, पम्प हाउस एवं राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची (1)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र, एप्रोच चैनल, पम्प हाउस एवं राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य में प्रभावित भूमि

तहसील राजगढ़

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लगदरिया खीमाखेड़ी	10.072 0.141	8.471 0.000	18.543 0.141
कुल योग . .		10.213	8.471	18.684

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र, एप्रोच चैनल, पम्प हाउस एवं राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य में प्रभावित भूमि : ग्राम लगदरिया एवं खीमाखेड़ी

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गोर्वधन पिता शिवनारायण जाति दांगी	3/1/3	2.000	0.000	2.000	2.000
2	रमेशचन्द्र पिता शिवनारायण	3/1/4	2.000	0.000	2.000	2.000
3	फूलसिंह, अमृत पिता नारायण	3/3/1	0.506	0.506	0.000	0.506
		8/5/1	1.265	0.181	0.000	0.181
		17/2/1	0.348	0.348	0.000	0.348
		25/2/1	0.253	0.034	0.000	0.034
		23/1	0.057	0.008	0.000	0.008
4	राधेश्याम, सीताराम, गोर्वधन पिता	3/3/2	0.253	0.253	0.000	0.253
	हजारीलाल	8/5/2	0.632	0.097	0.000	0.097
		17/1/1/2	0.087	0.087	0.000	0.087
5	देवनारायण, अमरसिंह पिता दोलतराम	3/3/3	0.253	0.253	0.000	0.253
		8/5/3	0.632	0.090	0.000	0.090
		17/1/1/3	0.088	0.088	0.000	0.088
6	गीताबाई बेवा कैलाशनारायण, केदारनाथ, पप्पूलाल पिता कैलाशनारायण.	10/2 7/4	0.379 0.759	0.000 0.759	0.379 0.000	0.379 0.759
7	रामचरण पिता नारायण	10/1/2	2.000	2.000	0.000	2.000
8	कालू पिता नाथू	17/1/1/1	0.175	0.000	0.175	0.175
9	बापूलाल पिता हजारी	17/1/3	0.710	0.000	0.710	0.710

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	चैनसिंह, देवसिंह पिता हजारी	8/2 7/2 7/6	1.770 0.822 1.999	0.354 0.800 1.999	0.000 0.000 0.000	0.354 0.800 1.999
11	हीरालाल, मांगीबाई पिता गिरधारीलाल	8/4	1.315	0.000	0.526	0.526
12	सालगराम पिता जालम	7/1	1.025	0.000	1.025	1.025
13	किशन पिता सालगराम, घीसा पिता नारान	7/5	2.276	0.271	0.000	0.271
14	मोती पिता धन्ना	7/7	1.151	1.151	0.000	1.151
15	प्रभूलाल पिता अमरा	7/8	4.424	0.303	0.000	0.303
16	विजयसिंह पिता शिवनारायण	3/8	1.189	0.101	0.000	0.101
17	ग्यारसीबाई पिता मानसिंह	5	0.708	0.000	0.708	0.708
18	मोतीलाल पिता गोपीलाल	6	0.948	0.000	0.948	0.948
19	अमरलाल पिता प्रभूलाल	17/1/2	2.000	0.050	0.000	0.050
20	गिरधारी पिता घोसी	7/3	1.593	0.030	0.000	0.030
21	मोहनलाल पिता शिवनारायण	25/1	1.973	0.034	0.000	0.034
22	बापू, हजारी, पन्नालाल पिता अमरसिंह	33/2 34	0.177 0.620	0.106 0.169	0.000 0.000	0.106 0.169
योग . .			36.387	10.072	8.471	18.543

ग्राम खीमाखेड़ी

1	श्रीमती उषा पति बालकृष्ण जाति गुप्ता	1	1.569	0.037	0.000	0.037
2	गोपाल पिता रामचन्द्र जाति गुप्ता	2	1.705	0.072	0.000	0.072
3	श्रीमती माधुरी पति दीपक	3	0.202	0.032	0.000	0.032
योग . .			3.476	0.141	0.000	0.141
कुल योग . .			39.863	10.213	8.471	18.684

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 10152-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्र. क्र. अ-82-2014-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम टाण्डी के लिए डूब क्षेत्र, में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची (1)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि : ग्राम टाण्डी

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	टाण्डी	19.866	10.873	30.739
कुल योग . .		19.866	10.873	30.739

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि : ग्राम टाण्डी

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	केशरसिंह, देवसिंह पिता नानजी, भेरूसिंह पिता नाथूलाल भगवान, कालूसिंह पिता अनारसिंह, अनिल पिता दरियावसिंह, होकमबाई बेवा दरियावसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	1/1	0.645	0.645	0.000	0.645
		164/380/1	1.290	1.260	0.000	1.260
		297/1	0.873	0.500	0.000	0.500
		योग . . 3	2.808	2.405	0.000	2.405
2	धूलीबाई बेवा अनारसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	9	0.063	0.000	0.063	0.063
		347	1.720	0.200	0.000	0.200
		योग . . 2	1.783	0.200	0.063	0.263
3	मोहनलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	22/3	0.360	0.272	0.000	0.272
		335/3	0.028	0.028	0.000	0.028
		349/1/5	0.090	0.090	0.000	0.090
		योग . . 3	0.478	0.390	0.000	0.390
4	जगदीश पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	22/4	0.364	0.364	0.000	0.364
		335/2	0.028	0.028	0.000	0.028
		349/1/2	0.096	0.096	0.000	0.096
		योग . . 3	0.488	0.488	0.000	0.488
5	सर्जनसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	22/5	0.364	0.364	0.000	0.364
		335/4	0.028	0.028	0.000	0.028
		349/1/4	0.096	0.096	0.000	0.096
		योग . . 3	0.488	0.488	0.000	0.488
6	शिवसिंह पिता माधोसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	26	0.089	0.000	0.076	0.076
		27/2	0.423	0.000	0.200	0.200
		323/2	0.765	0.000	0.230	0.230
		332/2	0.158	0.000	0.158	0.158
		333/2	0.322	0.000	0.322	0.322
		343/2	0.038	0.000	0.038	0.038
		334/2	0.063	0.000	0.063	0.063
		346/2	2.529	0.000	2.023	2.023
		349/2	0.188	0.188	0.000	0.188
		योग . . 9	4.575	0.188	3.110	3.298

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	27/1/च 5 335/1 349/1/1	0.280 0.027 0.096	0.280 0.002 0.000	0.000 0.000 0.096	0.280 0.002 0.096
		योग . . 3	0.403	0.282	0.096	0.378
8	सम्पतबाई पति शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	357/1 346/1	0.620 0.835	0.000 0.000	0.620 0.292	0.620 0.292
		योग . . 2	1.455	0.000	0.912	0.912
9	रामनारायण पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	34	0.405	0.405	0.000	0.405
		योग . . 1	0.405	0.405	0.000	0.405
10	बापूलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	72 174/2	0.164 0.177	0.025 0.177	0.000 0.000	0.025 0.177
		योग . . 2	0.341	0.202	0.000	0.202
11	मांगीलाल पिता धूलजी इन्दरसिंह, बापूलाल, भारतसिंह पिता करणसिंह, सम्पतबाई बेवा करणसिंह, शैतानबाई, रतनबाई, द्रोपतीबाई, सुन्दरबाई, भूलीबाई, केसरबाई, बल्लभबाई, प्रेमबाई पिता धूलजी, गेंदीबाई, मेहताब जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	80 101 118 178 331 341 342	1.859 0.025 1.012 0.126 0.025 0.139 0.164	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.010 0.025 0.275 0.126 0.025 0.050 0.081	0.010 0.025 0.275 0.126 0.025 0.050 0.081
		योग . . 7	3.350	0.000	0.592	0.592
12	रामप्रसाद पिता मोती, कमलाबाई बेवा मोती, कस्तूरीबाई, नौरंगबाई पिता खीमा जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी.	127/1	0.019	0.019	0.000	0.019
		योग . . 1	0.019	0.019	0.000	0.019
13	कालूराम पिता घीसालाल जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी.	127/2	0.019	0.019	0.000	0.019
		योग . . 1	0.019	0.019	0.000	0.019
14	भंवरलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	128	0.063	0.063	0.000	0.063
		योग . . 1	0.063	0.063	0.000	0.063
15	गोकुल पिता कालू जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	139/2	0.043	0.000	0.043	0.043
		योग . . 1	0.043	0.000	0.043	0.043

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	शैतानबाई बेवा मांगीलाल, देवसिंह पिता मांगीलाल, द्रोपतबाई बेवा जगदीश, राहुल पिता जगदीश ना. बा. सर. माता द्रोपतबाई बेवा जगदीश जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	146/1/1 152/1/4 155/373/1 163/378/1	0.173 0.584 0.020 0.100	0.108 0.000 0.000 0.000	0.000 0.060 0.020 0.100	0.108 0.060 0.020 0.100
		योग . . 4	0.877	0.108	0.180	0.288
17	फतेसिंह पिता उंकार जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	151/372/1 163/378/2	0.051 0.267	0.051 0.267	0.000 0.000	0.051 0.267
		योग . . 2	0.318	0.318	0.000	0.318
18	धीरपसिंह पिता उंकार जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	151/372/2 155/373/2	0.050 0.087	0.050 0.087	0.000 0.000	0.050 0.087
		योग . . 2	0.137	0.137	0.000	0.137
19	सूरजसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी.	162/2 231/2 232/2 233/2 165/2	0.443 0.574 0.080 0.130 0.367	0.222 0.344 0.080 0.130 0.018	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.222 0.344 0.080 0.130 0.018
		योग . . 5	1.594	0.794	0.000	0.794
20	योगेन्द्र पिता धूलजी, भंवरीबाई बेवा धूलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	162/3 231/3 232/3 233/3 165/3	0.442 0.573 0.080 0.131 0.367	0.442 0.286 0.080 0.131 0.018	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.442 0.286 0.080 0.131 0.018
		योग . . 5	1.593	0.957	0.000	0.957
21	कालू पिता अनारसिंह जाति सौंधिया भू-स्वामी.	164/380/2	0.430	0.421	0.000	0.421
		योग . . 1	0.430	0.421	0.000	0.421
22	भेरूसिंह पिता धूलजी, सौरमबाई बेवा धूलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी.	165/1 173/1 173/2 173/3	0.367 0.206 0.207 0.207	0.018 0.041 0.041 0.041	0.000 0.000 0.000 0.000	0.018 0.041 0.041 0.041
		योग . . 4	0.987	0.141	0.000	0.141
23	मांगीलाल पिता रूपा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी.	165/384/1	1.150	1.059	0.000	1.059
		योग . . 1	1.150	1.059	0.000	1.059
24	अमृतलाल पिता प्रभुलाल जाति बलाई नि.ग्राम भू-स्वामी.	165/384/2	1.012	1.012	0.000	1.012
		योग . . 1	1.012	1.012	0.000	1.012
25	हिन्दुसिंह, छोटेलाल, राजेन्द्र पिता भीमा, गुलाबबाई बेवा भीमा, रेशमबाई, कैलाशबाई पिता भीमा जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	167 168 169 181/377	0.316 0.506 0.139 0.417	0.000 0.000 0.000 0.000	0.047 0.202 0.063 0.020	0.047 0.202 0.063 0.020
		योग . . 4	1.378	0.000	0.332	0.332
26	धूल्या, गोपी पिता गेन्दाशंकर, बापू पिता देवाजी, हरकूबाई बेवा जालम, अयोध्या बेवा जालम जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.	170 172 208	1.151 0.051 0.595	0.000 0.000 0.000	0.345 0.51 0.238	0.345 0.051 0.238
		योग . . 3	1.797	0.000	0.634	0.634

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27	हरकूबाई बेवा जालम, गोपी, कालू पिता गेंदा हि. 50 पै. शंकर नाथू पिता देव्या, गुलाबबाई बेवा देव्हा हि. 50 पै. जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.	171/1	1.935	0.083	0.013	0.096
		योग . . 1	1.935	0.083	0.013	0.096
28	रमेश पिता कालू जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.	171/2	0.442	0.000	0.044	0.044
		योग . . 1	0.442	0.000	0.044	0.044
29	विजयसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	174/1 175	0.671 0.860	0.604 0.860	0.000 0.000	0.604 0.860
		योग . . 2	1.531	1.464	0.000	1.464
30	इन्दरसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम टण्डी.	179/1	0.759	0.000	0.607	0.607
		योग . . 1	0.759	0.000	0.607	0.607
31	भेरूसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	179/2	0.544	0.000	0.544	0.544
		योग . . 1	0.544	0.000	0.544	0.544
32	सम्पतबाई बेवा पूरजी, बनेसिंह पिता पूरजी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	180/1	1.467	0.293	0.000	0.293
		योग . . 1	1.467	0.293	0.000	0.293
33	प्रभु पिता किशन जाति बलाई नि. ग्राम भू-स्वामी.	181	0.696	0.544	0.013	0.557
		योग . . 1	0.696	0.544	0.013	0.557
34	श्रीलाल, भगवानसिंह पिता नारायणसिंह, बल्लभबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	241/1 345/2/1	0.007 0.626	0.000 0.613	0.007 0.013	0.007 0.626
		योग . . 2	0.633	0.613	0.020	0.633
35	रामप्रसाद पिता गणपत जाति चमार नि. भू-स्वामी.	362/4 367/1	0.506 0.494	0.253 0.198	0.000 0.000	0.253 0.198
		योग . . 1	1.000	0.451	0.000	0.451
36	भूलीबाई बेवा प्यारजी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	357/2	0.088	0.000	0.088	0.088
		योग . . 1	0.088	0.000	0.088	0.088
37	मांगीलाल पिता धूलजी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	362/3 362/1 362/2	1.838 1.846 1.846	0.800 0.000 0.000	0.025 0.554 0.646	0.825 0.554 0.646
		योग . . 3	5.525	0.800	1.225	2.025
38	कमलसिंह पिता अमरसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	334/1/5 335/5 349/1/3	0.013 0.028 0.104	0.000 0.028 0.104	0.013 0.000 0.000	0.013 0.028 0.104
		योग . . 3	0.145	0.132	0.013	0.145

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39	हिन्दूसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	234	0.190	0.190	0.000	0.190
		योग . . 1	0.190	0.190	0.000	0.190
40	धनसिंह पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	225 226	0.632 0.101	0.379 0.101	0.000 0.000	0.379 0.101
		योग . . 2	0.733	0.480	0.000	0.480
41	नोरंगबाई बेवा शिवसिंह, सुजानबाई पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	367/2	1.189	0.000	0.337	0.337
		योग . . 1	1.189	0.000	0.337	0.337
42	गणपत पिता भागचन्द जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.	369/1	1.833	0.886	0.580	1.466
		योग . . 1	1.833	0.886	0.580	1.466
43	शिव पिता घीसा जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.	223/1	1.842	0.092	0.000	0.092
		योग . . 1	1.842	0.092	0.000	0.092
44	बाबू पिता कालू जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.	249/1/1	0.653	0.653	0.000	0.653
		योग . . 1	0.653	0.653	0.000	0.653
45	भेरूसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम. भू-स्वामी.	230 231/1 232/1 233/1	0.101 0.573 0.080 0.131	0.101 0.458 0.080 0.131	0.000 0.000 0.000 0.000	0.101 0.458 0.080 0.131
		योग . . 4	0.885	0.770	0.000	0.770
46	सौरमबाई बेवा धूलजी जात सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	239	0.038	0.000	0.038	0.038
		योग . . 1	0.038	0.000	0.038	0.038
47	मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	240/1 241/2 345/1	0.784 0.006 0.677	0.784 0.000 0.666	0.000 0.006 0.011	0.784 0.006 0.677
		योग . . 3	1.467	1.450	0.117	1.467
48	रामसिंह पिता नरबा जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	355 356/2 358	0.164 0.159 0.051	0.164 0.159 0.051	0.000 0.000 0.000	0.164 0.159 0.051
		योग . . 3	0.374	0.374	0.000	0.374
49	श्रीमती रामकलाबाई उर्फ कलाबाई पति कुमेरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	276/1/2/2	0.126	0.000	0.040	0.040
		योग . . 1	0.126	0.000	0.040	0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	करणसिंह पिता उंकर जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	284/1/3	0.030	0.006	0.000	0.006
		योग . . 1	0.030	0.006	0.000	0.006
51	सत्यनारायण ना.बा.सर. पिता कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी.	324/2	0.253	0.000	0.253	0.253
		योग . . 1	0.253	0.000	0.253	0.253
52	शिवसिंह,अमरसिंह पिता माधो हि. 1/2 मांगीलाल करणसिंह पिता धूलजी, गेंदीबाई मेहताबाई बेवा धूलजी, हि.1/2 जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	327	0.038	0.028	0.010	0.038
		योग . . 1	0.038	0.028	0.010	0.038
53	कनीराम पिता बंशीलाल जाति सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी	338	0.164	0.000	0.164	0.164
		योग . . 1	0.164	0.000	0.164	0.164
54	लालसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	339/2 340/1/1/1 340/1/1/2 340/1/2 340/2 345/2/2	0.152 0.202 0.203 0.455 0.860 0.050	0.000 0.026 0.027 0.000 0.358 0.050	0.013 0.000 0.000 0.402 0.000 0.000	0.013 0.026 0.027 0.402 0.358 0.050
		योग . . 6	1.922	0.461	0.415	0.876
55	रोड़जी ना.बा.शिवसिंह पिता माधो जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	346/3	2.276	0.000	0.455	0.455
		योग . . 1	2.276	0.000	0.455	0.455
56	बीरम,रोड़ीबाई, सुन्दरबाई पिता गब्बा, धूलीबाई बेवा छोटेलाल,राहुल, महन्द्रयिंह, दिलीप,संदीप ना.बा.सर. माता धूलीबाई बेवा छोटेलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	356/1	0.031	0.000	0.031	0.031
		योग . . 1	0.031	0.000	0.031	0.031
57	बीरम सिंह, पिता भोना जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	367/3	0.012	0.000	0.004	0.004
		योग . . 1	0.012	0.000	0.004	0.004
		कुल योग . . 124	56.812	19.866	10.873	30.739

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक/एफ-25-129/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22°9'21 से 22°9'23 उत्तर अक्षांश तथा 76°10'14 से 76°10'36 पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - खण्डवा
वनमंडल - खण्डवा सा.

तहसील - पुनासा
वन परिक्षेत्र - पुनासा सा.

अ. क्र	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	मसलाय (अ)	मसलाय	पहाड चट्टान	91	2.48	उत्तर - मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वनसीमा पूर्व - मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वनसीमा दक्षिण- मुनारा क्रमांक 03 से 06 तक की कृत्रिम वनसीमा पश्चिम- मुनारा क्रमांक 06 एवं 01 तक की कृत्रिम वनसीमा
				योग	2.48	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6 MPB030/2011BHO/2725 दिनांक 17.03.2011 एवं 6 MPB089/2010 BHO/1354 दिनांक 17.08.2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार अध्यक्ष अखिल भारतीय गुजराती रामी माली समाज एवं धाकड समाज ओंकारेश्वर की स्वीकृत परियोजना राजस्व वनभूमि में धर्मशाला निर्माण हेतु में प्रभावित 0.06 एवं 0.238 कुल राजस्व वनभूमि 0.298 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.48 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.48 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा के आदेश क्रमांक 769/रीडर-2/2010 दिनांक 11.03.2010 में दर्शित कलेक्टर जिला खण्डवा के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 06/अ/59/09-10 के दिनांक 22.01.2010 के अनुसार हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार पुनासा के प्रतिवेदन द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: – उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक हैं।
2. सामुदायिक अधिकार: – उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक हैं।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ-25-129-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-129-2016-दस-3, दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2016

No. F-25-129/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between. 22^o9'21" to 22^o9'23" North Latitude and. 76^o10'14" to 76^o10'36" East Longitude.

SCHEDULE

District - Khandwa
Forest Division - Khandwa(G)

Tahsil - Punasa
Forest Range - Punasa (G)

S. N	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Masalay (A)	Masalay	Pahad Chattan	91	2.48	North- Artificial Forest boundary from pillar No. 01 to 02 East- Artificial Forest boundary from pillar No. 02 to 03 South- Artificial Forest boundary from pillar No. 03 to 06 West - Artificial Forest boundary from pillar No. 06 & 01
				Total	2.48	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 6MPB030/2011BHO/2725 dated 17.03.2011 and No.6 MPB089/2010 BHO/1354. dated 17.08.2012 and in lieu of 0.298 hectare of affected forest land under the sanctioned project of dharamshala nirman Revenue forest Land of Gujrati rami mali samaj and dhakad samaj Omkareshar the above mentioned Non Forest Land of 2.48 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 06/A/59/09-10 dated 22.01.2010 and Anuvibhagiy Adhikari Khandwa Order No. 769/Rider-2/2010 Date:- 11-03-2010 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory a forestation.

2. Details of other Reasons - Nill**(B) The above land are as under:-**

1. Individuals of Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Communities of Rights - There are no communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-130/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकारी, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N - 21° 20' 51.0", से N - 21° 20' 39.5" उत्तर अक्षांश तथा E - 76° 16' 12.3" से E - 76° 16' 26.3" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - बुरहानपुर
वनमंडल - बुरहानपुर (सामान्य)

तहसील - नेपानगर
वनपरिक्षेत्र - नेपानगर

क्र.	वनखंड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	वन खंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे.में.	
1	बसाड़	बसाड़	बड़े झाड़ का जंगल	70	8.23	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से मुनारा क्र. 03 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 03 से मुनारा क्र. 07 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से मुनारा क्र. 10 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से मुनारा क्र. 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			पानी	160	7.77	
			योग		16.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./8-139/83-FRY दिनांक 10.05.1983 में अधिरोपित शर्त के अनुसार अधीक्षण यंत्री, (निर्माण) ई.एच.टी. म.प्र. विद्युत मंडल इंदौर को 220 के.वी. बड़वाह-नेपानगर विद्युत लाईन के निर्माण हेतु प्रभावित वनभूमि 16 हे. के एवज में समतुल्य प्राप्त कुल 16.00 हे. गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म.प्र. शासन वनविभाग के पक्ष में कलेक्टर पूर्व निमाड़ जिला खंडवा के आदेश क्र./स.अ. (रा.)/87/4560 दिनांक 27.03.1987 द्वारा वनविभाग को हस्तांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उक्त भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित

किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ-25-130-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-130-2016-दस-3, दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2016

No. F-25-130/2016/10-3 :: In exercise of the power conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) the State of Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time. This Forest Block lies between N - 21° 20' 51.0" to N - 21° 20' 39.5" North Latitude and E - 76° 16' 12.3" to E - 76° 16' 26.3" East Longitude.

SCHEDULE

District - Burhanpur
Forest Division - Burhanpur (T)

Tahsil - Neapanagar
Forest Range - Neapanagar

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hea.)	
1	Basad	Basad	Big Tree Forest	70	8.23	North - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to Pillar No. 03 of Protected Forest Block.

			Water	160	7.77	East - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 03 to Pillar No. 07 of Protected Forest Block.
						South Artificial Forest Boundary from Pillar No. 07 to Pillar No. 10 of Protected Forest Block.
						West - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to Pillar No. 01 of Protected Forest Block.
			Total		16.00	

(A) Reason For publication of Notification :-

1. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment & Forest, Govt. of India's order No. 8-139/83-FRY Dated 10-05-1983 and in lieu of 16.00 ha. of affected forest land under the sanctioned project of Superintending Engineer, (EST) Constn. Indore & above mentioned Non Forest Land of Equal 16.00 hs. transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No.A.S./87/4560 Dated 27-03-1987 of Collector East Nimar Distt. Khandwa for the purpose of Compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nill

(B) The above land are as under;—

1. Individuals of Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Communities of Rights - There are no communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-131/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22°9'15 से 22°9'29 उत्तर अक्षांश तथा

76°11'05 से 76°11'10 पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - खण्डवा
वनमंडल - खण्डवा (सा.)

तहसील - पुनासा
वन परिक्षेत्र - पुनासा (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	मसलाय ब	मसलाय	पहाड़ चट्टान	338	4.00	उत्तर - मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा पूर्व - मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा दक्षिण - मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा पश्चिम - मुनारा क्रमांक 04 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा
				योग	4.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6 डब्ल्यू137ए2006.एम्बे1434 दिनांक 31.08.2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर परिषद ओंकारेश्वर की स्वीकृत परियोजना ओंकारेश्वर बस स्टैण्ड सह पार्किंग निर्माण हेतु में प्रभावित 1.98 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर खण्डवा के आदेश क्रमांक अ.भू.अ./2006/1598 दिनांक 27.05.2006 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार पुनासा के प्रतिवेदन द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक हैं।
- सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक हैं।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ-25-131-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-131-2016-दस-3, दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2016

No. F-25-131/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below: subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22⁰9'15" to 22⁰9'29" North Latitude and 76⁰11'05" to 76⁰11'10" East Longitude.

SCHEDULE

District : -Khandwa
Forest Division: -.Khandwa (G)

Tahsil : - Punasa
Forest Range : - Punasa (G)

S. N .	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Masalay (B)	Village Masalay	Pahad Chattan.	338	4.00	North- Artificial Forest boundary from pillar No. 01 to 02 East- Artificial Forest boundary from pillar No 02 to 03 South- Artificial Forest boundary from pillar No. 03 to 04 West - Artificial Forest boundary from pillar No. 04 to 01
				Total	4.00	

(A) Reason for publication of Notification

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No6 MPB137/2006-BHO/1434 dated 31-08-2012 and in lieu of 1.98 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Omkareshar Bus stand and parking of cmo omkareshar, the above mentioned Non Forest Land of 4.00 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No /2006/1598 dated 27-05-2006 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsilder Khandwa. are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land
2. Community Rights - There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

क्रमांक एफ-25-133/2016/10-3 रुरु भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 21°50'51" से N 21°51'28" उत्तर अक्षांश तथा E 79°58'31" से E 79°59'04" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - बालाघाट

तहसील - लालबर्वा

वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा.)

वन परिक्षेत्र - वारासिवनी (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	कंटगझरी (अ)	कंटगझरी	बड़े झाड का जंगल	144/1 156/17	20.168	उत्तर - मुनारा क्रमांक 28 से 32 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 32 से 47 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 47 से 64 तक और मुनारा क्रमांक 64 से 1 तक और मुनारा क्रमांक 01 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 14 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	20.168	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक-2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 20.168 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /127/अ-59/90-91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबर्वा, जिला-बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ-25-133-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-133-2016-दस-3, दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2016

No. F-25-133/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 21⁰50'51" to N 21⁰51'28" North Latitude and E 79⁰58'31" to E 79⁰59'04" East Longitude.

SCHEDULE

District :- Balaghat

Tahsil :- Lalburra

Forest Division: - South Balaghat (Territorial)

Forest Range :- Waraseoni (Territorial)

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Katangjhari (A)	Katangjhari	Bade Jhad ka jungle	144/1 156/17	20.168	North- Pillar No. 28 to 32 Artificial forest boundary East- Pillar No. 32 to 47 Artificial forest boundary South- Pillar No. 47 to 64 and Pillar No. 64 to 1 and Pillar No. 1 to 14 Artificial forest boundary West - Pillar No. 14 to 28 Artificial forest boundary
				Total	20.168	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-478/82-FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar (Bawanthadi) project, Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P., the above mentioned Non Forest Land of 20.168 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. / 127/अ-59/90-91 dated 18.11.1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Lalburra – District Balaghat are as under.

1. Individual Rights – There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights – There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-138/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N23°42'57.600" से N23°43'8.900" उत्तर अक्षांश तथा E75°8'32.600" से E75°8'50.900" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला — रतलाम
वनमंडल — रतलाम

तहसील — जावरा
वन परिक्षेत्र — सैलाना

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे.)	
1	झालवा	झालवा	शासकीय (मगरा)	868/1	5.723	उत्तर — संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व — संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण — संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम — संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 06 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	5.723	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-121/2006-FC दिनांक 28-04-2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, रतलाम की स्वीकृत परियोजना कनेरी जलाशय परियोजना में प्रभावित 98.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 5.723 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 5.723 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला, रतलाम के आदेश क्रमांक 1474/वाचक-1/15 दिनांक 14-05-2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, जावरा जिला, रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक – दिनांक 04-02-2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ-25-138-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-138-2016-दस-3, दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2016

No. F-25-138/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government form time to time. This Forest Block lies between N23°42'57.600" to N23°43'8.900" North Latitude and E75°8'32.600" to E75°8'50.900" East Longitude.

SCHEDULE

District :- RATLAM
Forest Division :- RATLAM

Tahsil :- JAORA
Forest Range :- SAILANA

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hactare)	
1	Jhalwa	Jhalwa	Govt. (Magra)	868/1	5.723	North - Artificial Forest boundary From Pillar No. 01 to 14. East - Artificial Forest boundary From Pillar No. 14 to 10. South - Artificial Forest boundary From Pillar No. 10 to 06. West - Artificial Forest boundary From Pillar No. 06 to 01.
				Total	5.723	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No F.No.8-121/2006-FC dated 28-04-2016 and in lieu of 98.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kaneri Tank Project of Executive Eng. WRD District Ratlam, the above mentioned Non Forest Land of 5.723 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 1474/Reader-1/15 dated 14-05-2015 of Collector, Dist. Ratlam for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. - dated 04-02-2016 of Tahsildar, Jaora, District Ratlam are as under.

1. Individuals Rights - The Land is not Individual Rights
2. Community Rights - The Land is not Community Rights

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-142/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N23°38'0.6" से N23°38'28.1" उत्तर अक्षांश तथा E75°14'02.5" से E75°14'58.2" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - रतलाम
वनमंडल - रतलाम

तहसील - जावरा
वन परिक्षेत्र - सैलाना

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे.)	
1	खोजनखेडा	खोजनखेडा	बडी	270/1	45.729	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 09 से 17 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 17 से 23 तक तथा मुनारा क्र. 23 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	45.729	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-121/2006-FC दिनांक 28-04-2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, रतलाम की स्वीकृत परियोजना कनेरी जलाशय परियोजना में प्रभावित 98.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 45.729 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 45.729 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला, रतलाम के आदेश क्रमांक 1470/वाचक-1/15 दिनांक 14-05-2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, जावरा जिला, रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक – दिनांक 04-02-2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ-25-142-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-142-2016-दस-3, दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2016

No. F-25-142/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government form time to time. This Forest Block lies between N23°38'0.6" to N23°38'28.1" North Latitude and E75°14'02.5" to E75°14'58.2" East Longitude.

SCHEDULE

District :- RATLAM **Tahsil** :- JAORA
Forest Division :- RATLAM **Forest Range** :- SAILANA

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hactare)	
1	Khojan kheda	Khojan kheda	Bardi	270/1	45.729	North - Artificial Forest boundary From Pillar No. 01 to 07. East - Artificial Forest boundary From Pillar No. 07 to 09. South - Artificial Forest boundary From Pillar No. 09 to 17. West - Artificial Forest boundary From Pillar No. 17 to 23 and 23 to 01.
				Total	45.729	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No F.No.8-121/2006-FC dated 28-04-2016 and in lieu of 98.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kaneri Tank Project of Executive Eng. WRD District Ratlam, the above mentioned Non Forest Land of 45.729 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 1470/Reader-1/15 dated 14-05-2015 of Collector, Dist. Ratlam for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nill

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. - dated 04-02-2016 of Tahsildar, Jaora, District Ratlam are as under.

1. Individuals Rights - The Land is not Individual Rights
2. Community Rights - The Land is not Community Rights

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक/एफ-25-143/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 22°11'49.479" से N 22°12'14.714" उत्तर अक्षांश तथा E 74°16'42.827" से E 74°16'55.000" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - अलीराजपुर
वनमंडल - अलीराजपुर

तहसील - कट्टीवाडा
वन परिक्षेत्र - अलीराजपुर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सोमन्यावाट	सोमन्यावाट	काबिल कास्त	155 338/2 338/3	7.00 0.600 0.860	उत्तर - आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 855 से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 865 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 865 से 862 की वन सीमा। पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 862 से 855 तक की वन सीमा।
				योग	8.460	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार —

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.NO.6-MPC-041/2011-BHO/489 दिनांक 26.03.2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर की स्वीकृत परियोजना सोमन्यावाट जलाशय परियोजना में प्रभावित 8.460 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.460 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 8.460 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला झाबुआ के आदेश क्रमांक/रीडर/1189 दिनांक 28.09.1989 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण — निरंक

(ख). उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कट्टीवाडा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ-25-143-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-143-2016-दस-3, दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2016

No F-25-143/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 22°11'49.479" to N 22°12'14.714" North Latitude and E 74°16'42.827" to E 74°16'55.000" East Longitude.

SCHEDULE

District – Alirajpur
Forest Division – Alirajpur

Tehsil – Khattiwada
Forest Range - Alirajpur

S.No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hect are)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Somanyawat	Somanyawat	Kabil kast	155 338/2 338/3	7.00 0.600 0.860	North :- Artificial Forest boundary from Pillar no. 855 of Reserved Forest block to Pillar no. 01 of Protected Forest block. East:- Artificial Forest boundary from Pillar no. 01 to Pillar no. 865 of Reserved forest block. South :- Forest Boundary from Pillar no. 865 to 862 of Reserved Forest Block. West :- Forest Boundary from Pillar no. 862 to 855 of Reserved Forest Block.
				Total	8.460	

(A) Reason for publication of Notification :-

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F.NO.6-MPC-041/2011-BHO/489 Dated 26.03.2012 and in lieu of 8.457 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Somanyawat TANK of Water Resource Department of E. E. Alirajpur, the above mentioned Non Forest Land of 8.457 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order no. 1189/Reder/dated 28-09-1989 of Collector Jhabua, for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certification) of Sub Divisional Magistrate, Khattiwada

(a) Rights of individuals :- There are no Individual right on the said land.

(b) Rights of communities :- There are no Communities right on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-144/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे। यह वनखण्ड 24°27'59.360" से 24°28'05.517" उत्तर अक्षांश तथा 78°57'21.591" से 78°57'28.265" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - टीकमगढ़
वनमण्डल - टीकमगढ़

तहसील - टीकमगढ़
वन परिक्षेत्र - टीकमगढ़

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	ककरवाहा वनखण्ड- "अ"	ककरवाहा	बंजर पटार	190/1	0.404	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 32 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 19 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 19 से 32 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				190/2	1.214	
				190/3	0.011	
				190/4	6.443	
				190/5	0.125	
				190/6	0.644	
				191/1	0.271	
				191/2	0.425	
				191/3	0.425	
				191/4	0.486	
				191/5	1.267	
				191/6	0.069	
				192/1	2.209	
				192/2	0.526	
				193	0.267	
				194	0.559	
				195	0.380	
				196	0.372	
				197	1.360	
				198	0.583	
				199	0.032	
				200	0.583	
				201	1.117	
202	0.530					
203	0.729					
204	0.785					
205	0.951					
206	0.684					
207	0.749					
208	1.125					
209	0.182					
210	0.624					
211	0.806					
212	2.088					
			योग	29.025		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक /8-15/2013/एफ.सी. दिनांक 18.09.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की स्वीकृत परियोजना बानसुजारा बांध परियोजना में प्रभावित 57.490 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 57.490 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 57.490 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 83/वी 121/11-12 दिनांक 23.02.2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - कुछ नहीं।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
- सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ-25-144-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-144-2016-दस-3, दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2016

No. F-25-144/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected or affected in anymanner except in so far as they may ne modified by the state government from time to time. This forest Block lies between **24°27'59.360"** To **24°28'05.517"** North Latitude and **78°57'21.591"** To **78°57'28.265"** East Longitude.

SCHEDULE

District : Tikamgarh
Forest Division : Tikamgarh

Tahsil : Tikamgarh
Forest Range : Tikamgarh

Sn.	Name of forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Ares (Hectare)	
1.	Kakarwaha Forest Block (A)	Kakarwaha	Banzar Pathar	190/1	0.404	North - Artificial forest Boundary from Pillar no. 32 to 01 of Protected Forest Block.
				190/2	1.214	
				190/3	0.011	
				190/4	6.443	

			190/5	0.125	East - Artificial forest Boundary from Pillar no. 01 to 11 of Protected Forest Block.
			190/6	0.644	
			191/1	0.271	
			191/2	0.425	Sourth - Artificial forest Boundary from Pillar no. 11 to 19 of Protected Forest Block.
			191/3	0.425	
			191/4	0.486	
			191/5	1.267	
			191/6	0.069	West - Artificial forest Boundary from Pillar no. 19 to 32 of Protected Forest Block.
			192/1	2.209	
			192/2	0.526	
			193	0.267	
			194	0.559	
			195	0.380	
			196	0.372	
			197	1.360	
			198	0.583	
			199	0.032	
			200	0.583	
			201	1.117	
			202	0.530	
			203	0.729	
			204	0.785	
			205	0.951	
			206	0.684	
			207	0.749	
			208	1.125	
			209	0.182	
			210	0.624	
			211	0.806	
			212	2.088	
			Total	29.025	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No. 8-15/2013/FC dated 02.04.2014 and in lieu of 57.490 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bansujara Dam. Water Resorce of Executive Engineer Bansujara Dam. Water Resorce Division Tikamgarh (m.p.) the above mentioned Non Forest Land of 57.490 Hectare Transferred of muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 83/B 121/11-12 date 23.02.2012. Of Collector Diss. Tikamgarh M.P For the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- (Nil) dates Nil of Nil (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-144/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड **24°27'01.939"** से **24°28'01.985"** उत्तर अक्षांश तथा **78°57'04.034"** से **78°57'07.012"** पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - टीकमगढ़
वनमण्डल - टीकमगढ़

तहसील - टीकमगढ़
वन परिक्षेत्र - टीकमगढ़

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	ककरवाहा वनखण्ड- "ब"	ककरवाहा	बंजर पठार	152/5	0.724	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 32 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से 25 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 25 से 32 तक की कृत्रिम वनसीमा।
				152/6	1.619	
				152/7	1.610	
				152/8	1.619	
				152/9	1.619	
				152/10	1.619	
				152/11	19.655	
	योग		28.465			

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक /8-15/2013/एफ.सी. दिनांक 18.09.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की स्वीकृत परियोजना बानसुजारा बांध परियोजना में प्रभावित 57.490 हेक्टेयर वनभूमि के एवज् में प्राप्त कुल 57.490 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 57.490 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 83/वी 121/11-12 दिनांक 23.02.2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण – कुछ नहीं ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक)

द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ-25-144-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-144-2016-दस-3, दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2016

No. F-25-144/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927(XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected or affected in anymanner except in so far as they may ne modified by the state government from time to time. This forest Block lies between **24°27'01.939"** to **24°28'01.985"** North Latitude and **78°57'04.034"** to **78°57'07.012"** East Longitude.

SCHEDULE

District : Tikamgarh
Forest Division : Tikamgarh

Tahsil : Tikamgarh
Forest Range : Tikamgarh ..

Sn.	Name of forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Ares (Hectare)	
1.	Kakarwaha Forest Block (B)	Kakarwaha	Banzar Pathar	152/5	0.724	North – Artificial forest Boundary from Pillar no. 32 to 01 of Protected Forest Block. East – Artificial forest Boundary from Pillar no. 01 to 13 of Protected Forest Block. Sourth – Artificial forest Boundary from Pillar no. 13 to 25 of Protected Forest Block. West – Artificial forest Boundary from Pillar no. 25 to 32 of Protected Forest Block.
				152/6	1.619	
				152/7	1.610	
				152/8	1.619	
				152/9	1.619	
				152/10	1.619	
				152/11	19.655	
Total				28.465		

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No. 8-15/2013/FC dated 02.04.2014 and in lieu of 57.490 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bansujara Dam. Water Resorce of Executive Engineer Bansujara Dam. Water Resorce Division Tikamgarh (m.p.) the above mentioned Non Forest Land of 57.490 Hectare Transferred of muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 83/B 121/11-12 date 23.02.2012. Of Collecter Diss. Tikamgarh M.P For the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons Nil.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- (Nil) dates Nil. of Nil (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights- Nil
2. Community Rights- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक/एफ-25-145/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 24°41'54.204" से 24°42'15.067" उत्तर अक्षांश तथा 78°46'21.115" से 78°46'45.103" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - टीकमगढ़
वनमण्डल - टीकमगढ़

तहसील - टीकमगढ़
वन परिक्षेत्र - टीकमगढ़

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	मिनौरा	मिनौरा	गौचर	5/2/2/1 5/2/2 5/2/1/2/1 5/2/1/1/2	0.254 3.877 5.136 3.493	उत्तर- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 18 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्र. 01 से 05 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्र. 05 से 10 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्र. 10 से 18 तक की कृत्रिम वनसीमा।
		योग -			12.760	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/F.No. 6MPC 077/2013-BHO/1455 दिनांक 20.08.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की स्वीकृत परियोजना बानसुजारा बांध परियोजना में प्रभावित 12.760 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 12.760 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 12.760 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 119/वी 121/11-12 दिनांक 20.04.2012 एवं दिनांक 16.07.2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ-25-145-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-145-2016-दस-3, दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2016

No/F-25-145/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected or affected in anymanner except in so far as they may ne modified by the state government from time to time. This forest Block lies between 24°41'54.204" to 24°42'15.067" North Latitude and 78°46'21.115" to 78°46'45.103" East Longitude.

SCHEDULE

District : Tikamgarh
Forest Division : Tikamgarh

Tahsil : Tikamgarh
Forest Range : Tikamgarh

Sn.	Name of forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Ares (Hectare)	
1.	Minora	Minora	Gouchar	5/2/2/1 5/2/2 5/2/1/2/1 5/2/1/1/2	0.254 3.877 5.136 3.493	North – Artificial forest Boundary from Pillar no. 18 to 01 of Protected Forest Block.

						East – Artificial forest Boundary from Pillar no. 01 to 05 of Protected Forest Block. Sourth –Artificial forest Boundary from Pillar no. 05 to 10 of Protected Forest Block. West – Artificial forest Boundary from Pillar no. 10 to 18 of Protected Forest Block.
			Total	04	12.760	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No. F.No. 6MPC 077/2013-BHO/1455 dated 20.08.2014 and in lieu of 12.760 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of H arpura Cenal of Executive Engineer Bansujara Dam. Water Resorce Division Tikamgarh (m.p.) the above mentioned Non Forest Land of 12.760 Hectare Transferred of muted in favor of M.P. Govt. Forest Department by order No.. 119/B121/11-12 date 24.04.2012 or date 16.07.2012 Of Collector Diss. Tikamgarh M.P For the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- (NO) dates NO. of NO (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights- Nil

2. Community Rights- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक/एफ-25-146/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी शीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे। यह वनखण्ड 24°43'30.437" से 24°43'32.147" उत्तर अक्षांश तथा 79°13'47.815" से 79°13'53.531" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - टीकमगढ़
वनमण्डल - टीकमगढ़

तहसील - टीकमगढ़
वन परिक्षेत्र - टीकमगढ़

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	सरकर जागीर	सरकर जागीर	पटार	414/3	1.705	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम वनसीमा । पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 10 तक की कृत्रिम वनसीमा । दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 13 तक की कृत्रिम वनसीमा । पश्चिम संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 01 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
			योग		1.705	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6-MPB-3/2014-BHO/1481 दिनांक 25.08.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार संभागीय प्रबंधक म.प्र. रोड़ डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. सागर (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना जामनी एवं वेतवा नदी पर पुल एवं एप्रोच रोड़ के निर्माण में प्रभावित 1.705 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.705 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.705 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 50/वी-121/2014-15 दिनांक 30.03.2015 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ-25-146-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-146-2016-दस-3, दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2016

No F-25-146/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927(XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected or affected in anymanner except in so far as they may ne modified by the state government from time to time. This forest Block lies between 24°43'30.437" to 24°43'32.147" North Latitude and 79°13'47.815" to 79°13'53.531" East Longitude.

SCHEDULE

District : Tikamgarh
Forest Division : Tikamgarh

Tahsil : Tikamgarh
Forest Range : Tikamgarh ..

Sn.	Name of forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Ares (Hectare)	
1.	Sarkar Jageer	Sarkar Jageer	Pathar	414/3	1.705	North – Artificial forest Boundary from Pillar no. 01 to 04 of Protected Forest Block. East – Artificial forest Boundary from Pillar no. 04 to 10 of Protected Forest Block. Sourth – Artificial forest Boundary from Pillar no. 10 to 13 of Protected Forest Block. West – Artificial forest Boundary from Pillar no. 13 to 01 of Protected Forest Block.
			Total	01	1.705	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No. 6-MPB-3/2014-BHO/1481 dated 25.08.2014 and in lieu of 1.705 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Jamni & Betwa River To Brij And Approach Road (Name of Project) of Divisional Managar M.P. Road Development Corp. L.t.d. Sagar (m.p) the above mentioned Non Forest Land of 1.705 Hectare Transferred of muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 119/B121/11-12 date 24.04.2012 or date 16.07.2012 Of Collector Diss. Tikamgarh M.P For the purpose of compensatory a forestation.

2. Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- (Nil) dates Nil. of Nil (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights- Nil

2. Community Rights- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक/एफ-25-147/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 22°42'3.010" से N 22°42'7.750" उत्तर अक्षांश तथा E 74°45'2.690" से E 74°45'6.890" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :- अलीराजपुर
वनमंडल :- अलीराजपुर

तहसील :- जोबट
वन परिक्षेत्र :- जोबट

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सेवड	सेवड	काबिल कास्त	435/2	8.06	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 18 तक की कृत्रिम सीमा।

					पूर्व – संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18 से 06 तक की कृत्रिम सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 08 तक की कृत्रिम सीमा। पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 11 तक की कृत्रिम सीमा।
				योग	8.06

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार –

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.NO.6-MPC-033/2013-BHO/155 दिनांक 03.02.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर की स्वीकृत परियोजना बरखेडा जलाशय परियोजना में प्रभावित 8.06 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.06 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 8.06 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला अलीराजपुर के आदेश क्रमांक/795/रीडर/2012 दिनांक 26.06.2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जोबट के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ-25-147-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-147-2016-दस-3, दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2016

No. F-25-147/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 22°42'3.010" to N 22°42'7.750" North Latitude and E 74°45'2.690" to E 74°45'6.890" East Longitude.

SCHEDULE

District :- Alirajpur
Forest Division:- Alirajpur

Tehsil :- Jobat
Forest Range :- Jobat

S.No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sevad	Sevad	Kabil kast	435/2	8.06	North - Artificial Forest Boundary from Pillar no. 11 to 18 of Protected Forest Block. East - Artificial Forest Boundary from Pillar no. 18 to 06 of Protected Forest Block. South - Artificial Forest Boundary from Pillar no. 06 to 08 of Protected Forest Block. West - Artificial Forest Boundary from Pillar no. 08 to 11 of Protected Forest Block.
				Total	8.06	

(A) Reason for publication of Notification :-

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F.NO.6-MPC-033/2013-BHO/155 Dated 03.02.2014 and in lieu of 8.06 hectare of affected forest land under the sanctioned project of BARKHEDA TANK of Water Resource Department of E. E. Alirajpur, the above mentioned Non Forest Land of 8.06 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order no. 795/Reder/dated 26-06-2012 of Collector Alirajpur, for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certification) of Sub Divisional Magistrate, JOBAT

(a) Rights of individuals :- There are no Individual right on the said land.

(b) Rights of communities :- There are no Communities right on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-150/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रुपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N22° 54' 22.65" से N22° 54'26.21" उत्तर अक्षांश तथा E76° 31'28.2" से E76° 31'37.3" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - सीहोर

तहसील - जावर

वनमण्डल - सीहोर

वन परिक्षेत्र - आष्टा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	हालियाखेड़ी	हालियाखेड़ी	पठार	169/1क 170/2 170/6क	2.086 2.873 6.757	उत्तर - आरक्षित वनकक्ष 98 के मुनारा क्रमांक 1/1 से संरक्षित वनकक्ष के मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व - संरक्षित वनकक्ष के मुनारा क्रमांक 1 से आरक्षित वनकक्ष 98 के मुनारा क्रमांक 6/1 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण - संरक्षित वनकक्ष के मुनारा क्रमांक 6/1 से 5/1 तक की आरक्षित वनकक्ष 98 की संयुक्त वन सीमा। पश्चिम - आरक्षित वनकक्ष 98 के मुनारा क्रमांक 5/1 से संरक्षित वनकक्ष के मुनारा क्रमांक 9, 10 से आरक्षित वनकक्ष 98 के मुनारा क्रमांक 3/1 तक की कृत्रिम वनसीमा एवं 3/1 से 1/1 तक की संयुक्त वनसीमा।
				योग	11.716	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/ 6-एमपीसी035/2008-बीएचओ/503 दिनांक 18.03.13 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग सीहोर की स्वीकृत परियोजना डीकडी जलाशय में प्रभावित 11.716 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 11.716 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 11.716 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर सीहोर के आदेश क्रमांक /08/अ-19(3)/10-11 दिनांक 31.05.11 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण-

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अपर कलेक्टर सीहोर के प्रतिवेदन क्रमांक/1658 दिनांक 31.07.2015 के प्रतिवेदन द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकारी नहीं है।
 (2) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ-25-150-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-150-2016-दस-3, दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th December 2016

No. F-25-150/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declares the Provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest area specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N22° 54'22.65" to N22° 54'26.21" North Latitude and E76° 31'28.2" to E76° 31'37.3" East Longitude.

SCHEDULE

District- Sehore

Tahsil- - Jabar

Forest Division - Sehore

Forest Range- Ashta

S.No	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3		4	5	6
1	Haliyakhedi	Haliyakhedi	Pathar	169/1क 170/2 170/6क	2.086 2.873 6.757	North- Artificial Forest Boundary from the Piller No. 1/1 of RF Compartment No. 98 to Pillar No. 01 of Protected Forest Block.

						East- Artificial Forest Boundary Pillar No. 1 to Pillar No. 6/1 of RF Compartment No. 98.
						South- Joint Forest Boundary from Pillar No. 6/1 to 5/1 of RF Compartment No. 98.
						West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 5/1 of RF Compartment No. 98 to Pillar no. 9 to 10 of Protected Forest Block and to Pillar No. 3/1 of RF Compartment No. 98 and Joint Forest Boundary from Pillar No. 3/1 to 1/1 of RF Compartment.
				Total	11.716	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of environment and Forest, govt. of India's order No/6-MPC035/2008-BHO/503 dated 18.03.13 and in lieu of 11.716 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Jhikrii jalasya of E.E. WRD Sehore, the above mentioned Non Forest Land of 11.716 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No /08/A-19(3)/10-11 dated 31.05.11 of Collector sehore for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- -

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1014 dated 23/5/13, 1373 Dt.4/7/13 of S.D.M.Ashta (Designation of competent Revenue officer) are as under.

(1) Individual Rights :- There are no individual rights on the said land.

(2) Community Rights :- There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्रमांक/एफ-15-34/2016/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को

मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	पूर्व मण्डला सामान्य	जगमण्डल (सामान्य)	अजगर दादर	आरक्षित वन-750	217.35	पूर्व- कक्ष क्र. 750 पश्चिम- कक्ष क्र. 750 उत्तर- कक्ष क्र. 750 दक्षिण- कक्ष क्र. 750

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

एफ-15-34-2016-दस-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-34-2016-दस-2, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th December 2016

No./F-15-34/2016/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	East Mandla (T)	Jagmandal (T)	Azagar Dadar	RF-750	217.35	East- RF 750 West- RF 750 North- RF 750 South- RF 750

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11(1) के अन्तर्गत]

खरगोन, दिनांक 7 नवम्बर 2016

क्र. 700-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	भगोरा	0.085	महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन.	खरगोन वृहद् ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेल पथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम भगोरा की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
32/2, 32/14, 32/15	0.085

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 701-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
खरगोन	सनावद	बेडिया	0.680	महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन. खरगोन वृहद् ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेल पथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बेडिया की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
579/1, 638/1, 638/2, 638/3	0.680

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 23 नवम्बर 2016

प्रकरण क्रमांक 01-अ.-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची

के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	सिवनी- मालवा	नहरकोला खुर्द	0.831	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी- मालवा.	गाडपुरा- नाहरकोला मार्ग पर गंजाल पुल के पहुँच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—गाडपुरा-नाहरकोला मार्ग पर गंजाल पुल के पहुँच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्र. 140-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित किये जाने वाली भूमि का रकवा	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			सर्वे क्र.		
			क्षेत्रफल		
भिण्ड	भिण्ड	अतरसूमा	1084	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.	बहादुरपुरा-अतरसूमा मार्ग
			1082	सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर.	में सिंध नदी पर स्थित उच्च-
			1081		स्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग
			1080		के निर्माण हेतु.
			1079		
			1078		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			सर्वे क्र.	क्षेत्रफल	
			1077	0.06	
			1074	0.04	
			662	0.01	
			1003	0.27	
			1001	0.18	
			914	0.03	
			1002	0.01	
			913	0.17	
			918	0.03	
			898	0.35	
			666	0.02	
			665	0.04	
			664	0.05	
			663	0.05	
			672	0.05	
			671	0.03	
			674	0.05	
			676	0.08	
			727	0.09	
			728	0.04	
			651	0.04	
			652	0.01	
			649	0.06	
			628	0.08	
			648	0.01	
			646	0.03	
			645	0.20	
			633	0.09	
			634	0.05	
			632	0.02	
			591	0.07	
			योग . .	2.85	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया टी. राजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. 646-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.

2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	मोहन्ना	0.235	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, सतना.	मांद बस्ती मल्लाहन टोला हनुमान मंदिर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

प. क्र. 2620-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	इटमा	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2622-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11

की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	तुर्की गोसाँई	5.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)

पं. क्र. 2624-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	धुईसा	6.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)

पं. क्र. 2626-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	मझगावां	7.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)

प. क्र. 2628-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	निमहा	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के
				संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2630-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	ललितपुर नं. 1	5.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के
				संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2632-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	ललितपुर नं. 2	6.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के
				संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2634-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूँकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	पड़री	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.) निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2636-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूँकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	विगौडी	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.) निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2638-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूँकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	ताला	20.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.) निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2640-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	विधुईकला	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.) निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2642-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	रामगढ़	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.) निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2644-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	भड़री	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.) निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2646-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	विछिया कला	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)
					निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2648-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	भडरा	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)
					निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2650-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	मगराज	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)
					निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2652-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	खड़गडा	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.) निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2654-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	वढ़रखा	7.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.) निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2656-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	केमार	10.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.) निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2658-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	वडहरी	5.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)

प. क्र. 2660-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	बेला	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)

प. क्र. 2662-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	रुहिया	6.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)

प. क्र. 2664-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूँकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	महुडर	5.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)

प. क्र. 2666-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूँकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	खजुरी सुखनन्द	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)

प. क्र. 2668-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूँकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	झिन्ना	12.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)

प. क्र. 2670-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	पोंडी कला	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.) निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2672-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	नकटी	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.) निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2674-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	जगहथा	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.) निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2676-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा के 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	सन्नेही बोधाली.	5.800	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.). निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2678-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	टेढ़वा	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.). निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2680-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	भदवा	5.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.). निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2682-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	तुर्की मनमोहन.	4.800	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर	बेला वितरक के माइनर नहर के संभाग, जिला रीवा (म. प्र.). निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

शुद्धि पत्र

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-09-अ-82-15-16-नस्ती क्र. 08-एलए.-2016.—तलवडिया स्टेशन के पास ग्राम जावर में उपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य हेतु ग्राम जावर तहसील, तहसील खण्डवा जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09-अ-82-15-16 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 2 सितम्बर 2016 को, पिपुल्स समाचार में दिनांक 29 अगस्त 2016 को, स्वदेश में दिनांक 30 अगस्त 2016 को एवं आम इशतहार दिनांक 24 अगस्त 2016 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे. जी नं. 17537/16

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(1)	(2)
26/7	0.216	26/5	0.216

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.384 हे. यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वाती मीणा नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 8 नवम्बर 2016

क्र.-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—जबेरा
(ग) ग्राम—घाट बम्होरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.78 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित (क्षेत्रफल) (रकबा हे. में) (2)
336	0.17
337	0.26
339	0.27
3.42	0.08
	0.78

कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा 0.78 हेक्टेयर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेन्दूखेड़ा (दमोह) तथा कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि./सेतु निर्माण विभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2016

रा. मा. प्र. क्र.-02 अ-82 वर्ष 2014-15-गाडरवारा- पत्र
क्र.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का

समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—टेकापार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.024 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
139/2	0.024
कुल योग . . .	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—गरहा से बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण. (निर्माण एजेन्सी का नाम-कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ./स.) संभाग, नरसिंहपुर).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोसले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्र.-भू-अर्जन-30(अ-82)2016-17-1306—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
 (ख) तहसील—डिण्डौरी
 (ग) ग्राम—केवलारी म्य बम्हनी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—55.690 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी
 प.ह.नं. 132

खसरा नं. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)	(2)
94/2	0.400
10/2	0.400
53	0.190
10/1	0.390
18/2	0.800
29	0.580
28/1	0.340
25/2	0.550
28/2	0.340
2	1.080
19	0.320
24	0.780
35/1	0.510
35/2	0.500
35/4	0.500
101/1	0.670
35/3	0.920
209	0.650
26	0.950
237	0.220
16	1.200
211	0.780
15	1.420
17	0.610
18/1	0.930
55	0.700
94/1	1.690

(1)	(2)
11	1.740
30/1	0.800
5	1.060
8	0.610
9	2.300
93	0.790
91	2.850
54	0.560
234	0.340
12	1.700
230	0.390
95	1.120
22	0.420
124	0.210
60	0.960
62	0.740
21	0.320
58	1.160
242/1	1.210
56	3.110
57	0.930
59	0.950
90/1	0.330
229	0.210
योग . .	47.230
शासकीय भूमि	8.460
कुल योग . .	55.690

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-31 (अ-82)2016-17-1307—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

		(1)	(2)
अनुसूची		105/6	0.670
		105/3	0.670
		105/1	0.670
(1) भूमि का वर्णन—		125	0.420
(क) जिला—डिण्डौरी		132	0.350
(ख) तहसील—डिण्डौरी		126	0.530
(ग) ग्राम—साल्हेघोरी माल		130	0.240
(घ) लगभग क्षेत्रफल—63.650 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी		127	0.700
प.ह.नं. 130		134	0.500
		139	0.270
खसरा	भू-अर्जन हेतु	155/1	0.380
नं.	प्रस्तावित रकबा	192/1	-
	(हेक्टर में)	156/1	0.750
(1)	(2)	155/2	0.260
362	0.020	140	0.500
68/3	0.040	141	0.340
63	0.080	151	0.400
68/2	0.080	153	0.500
331/5	0.100	137	0.680
68/1	0.100	138	0.220
135	0.110	133	0.920
62	0.160	174/1	0.630
121	0.170	73	0.820
156/2	0.170	85	0.120
105/7	0.180	352	0.560
69/2	0.200	177	1.000
156/3	0.220	103/2	0.200
136/1	0.280	110/2	0.410
136/2	0.290	353	0.550
104	0.300	174/2	0.640
106	0.310	95	0.120
105/5	0.320	164	0.070
128	0.320	168	0.330
105/4	0.340	228, 354	0.640
129	0.380	170/1	1.230
117	0.400	103/1	0.210
118	0.400	110/1	0.410
119	0.400	113	0.080
331/3ब	0.400	98	0.240
331/4	0.400	167	0.340
108/1	0.420	105/2	1.270
108/2	0.420	178	0.680
155/3	0.050	89	0.120
124	0.600	162	0.050
170/2	0.610	166	0.350
180/1	0.340	96	0.230

(1)	(2)
169	0.390
329	1.090
176	0.700
179	0.210
70	0.250
74/2	1.000
227	0.180
87	1.280
99	1.520
175	1.600
102	0.990
152	1.700
109	0.900
115	0.040
142	0.170
146	0.480
86	1.020
88	0.450
69/1	0.140
75	0.090
76	0.280
100	1.910
160	0.640
171	0.970
184	0.300
333	0.520
111	1.980
122	0.140
143	0.180
149	0.380
150	0.470
158	0.400
161	0.540
159	0.700
172	1.010
173	1.010
226	1.120
154	3.870
योग . .	59.920
शासकीय भूमि . .	3.730
कुल योग . .	63.650

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-32 (अ-82)2016-17-1309—चूँकि, राज्य शासन

को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—उमरिया (रै.)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—271.266 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी प.ह.नं. 141

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
202	0.040
423/4	0.100
404	0.080
451	0.130
8	0.140
151/2/2	0.200
452	0.200
183/3	0.110
411/2	0.100
137	0.230
482/1	0.320
131	0.210
156	0.340
179	0.340
434/2	0.180
44	0.390
465	0.390
124	0.390
48/4	0.400
17/2	0.400
143	0.400

(1)	(2)	(1)	(2)
136/5	0.400	103	0.630
73/3	0.400	177	0.330
32/2	0.400	100	0.630
528/2	0.180	100	0.630
441	0.400	99	0.630
548	0.330	178	0.180
556	0.420	184/1	0.870
559	0.450	148	0.970
486	0.450	150	0.980
36/2	0.130	34	0.980
36/3	0.400	6	0.470
86	0.450	18	0.510
28	0.480	127	0.600
101	0.510	447	0.740
48/1	0.520	47/3	0.400
423/3	0.100	173	0.430
423/2	0.100	61	0.460
108	0.540	555	0.270
430	0.220	403	0.240
75	0.460	79	1.060
472	0.560	41	0.960
22	0.400	104/1	1.080
48/3	0.600	109/2	0.190
47/2	0.600	426/2	0.340
136/4	0.600	462	1.160
140/1	0.600	467	1.200
3/2	0.600	113	1.200
144	0.420	73/2	1.200
36/1	0.280	21	0.810
463	0.670	132	0.300
464	0.670	38	0.82
488	0.320	175	0.400
442	0.690	87	1.070
189/3	0.220	460	1.120
105	0.700	96	0.270
53	0.700	106	0.260
448	0.740	185/1	0.390
383/2	0.800	466	1.300
23/2	0.800	32/1	1.300
109/3	0.200	402	0.290
507, 547	0.250	189/2	0.370
153	0.800	487	0.550
160	0.800	437	1.330
480/1	0.870	457/1	0.600
436/1	0.910	500/1	0.730
63	0.930	457/2	0.600

(1)	(2)	(1)	(2)
500/2	0.730	412	0.360
469	1.350	11	1.900
520	0.850	385	0.200
51	0.400	165	1.750
152	0.940	459, 477	0.960
432	1.005	368	1.260
522	0.420	35	1.130
530	0.490	66	0.260
73/1	1.400	169	0.500
85	0.840	33	1.120
439	0.360	65	0.260
414	1.440	161	0.500
497	9.760	407	1.280
92	1.490	406	1.024
43/2	0.260	13	2.170
89/2	0.100	149	1.460
139/2	0.63	405	0.290
372	1.440	366	1.330
70	0.830	367	0.980
494	1.064	461	0.610
48/2	1.520	470	1.640
97	0.280	501	1.260
107	0.570	528/1	0.190
125	0.080	172	2.250
449	0.780	69	0.600
59	1.240	118	0.770
16	1.590	14	2.260
90	0.230	39	2.290
91	1.380	521	0.320
158	1.610	446	2.300
435/1	1.600	130, 163	0.570
23/1	1.650	3/1	1.320
26/2	0.690	15	1.040
523	0.280	50/2	0.170
476/1	1.760	76/2	2.160
508	0.520	154	1.240
133, 471	0.470	50/1	0.180
383/1	0.700	76/1	2.160
485/1	1.820	401	0.500
29/2	1.56	78	1.100
47/4	0.21	88	0.900
109/1	0.190	129	0.340
427/2	0.420	17/1	0.880
29/1	1.570	31	1.590
47/1	0.210	4	2.220
126	1.530	7	0.260

(1)	(2)	(1)	(2)
19	2.490	454	1.500
489	0.200	468	0.400
74	2.260	42	1.100
531	1.280	93	0.97
119	0.890	551	1.130
110	2.090	114/1	1.390
138	0.420	157	0.380
411/1		170	0.600
83/1	0.870	181	1.880
94/1	1.100	421	1.340
438/1	0.630	2	0.340
83/2	0.870	27	0.960
94/2	1.100	55	1.140
438/2	0.640	68	0.880
496	0.350	98	0.530
525	2.230	58/1	0.560
12	2.020	82/1	0.730
25	0.810	151/1	1.060
52	1.820	415	1.440
54	1.320	428	1.350
365	0.658	479/1	2.730
524	1.320	128	0.080
5	2.440	147/1	0.920
10	0.510	167	2.200
40	0.120	171	0.860
122	0.280	26/1	0.700
418	1.100	37	0.820
9	2.170	60	0.940
431	0.840	142/1	1.610
30	0.400	162	0.250
71	1.560	43/1	0.790
102	0.340	89/1	0.310
121	0.170	139/1	1.910
164		277/1	1.090
444		80	1.240
62	2.160	123	0.690
135	0.650	58/2	0.560
257	0.350	82/2	0.740
484	2.310	151/2/1	
182	0.850	433/1	1.280
443	1.720	541	0.12
95	0.480	194/1	1.450
141/1	0.280	413/1	2.840
450	0.920	64	1.020
57	0.830	72	0.270
117/1	0.670	115/1	0.820

(1)	(2)	(1)	(2)
136/1	1.540	15/4	0.170
159	0.660	15/5	0.170
410	2.040	15/6	0.170
योग . .	248.691	16/4	0.190
शासकीय भूमि . .	22.575	83/2	0.200
कुल योग . .	271.266	88/2	0.200
		69/2	0.200
		74/2	0.200
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.		76/1/2	0.200
		76/2	0.200
		12/2	0.200
क्र.-भू-अर्जन-33 (अ-82)2016-17-1305—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.		12/3	0.200
		12/4	0.200
		16/2	0.210
		45/1	0.220
		127	0.100
		34/3	0.250
		34/4	0.250
		34/5	0.250
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		34/2	0.280
		129	0.130
		75/1	0.300
		13/2	0.300
		115	0.200
		118	0.040
		123/2	0.320
		24/2	0.340
		24/4	0.340
(1) भूमि का वर्णन—		4	0.360
(क) जिला—डिण्डौरी		33/1	0.380
(ख) तहसील—डिण्डौरी		33/2	0.380
(ग) ग्राम—सालहेगोरी रै.		96	0.380
(घ) लगभग क्षेत्रफल—147.780 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी प.ह.नं. 130		10/2	0.390
		6	0.400
खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	69/7	0.400
(1)	(2)	23	0.400
14/1	0.050	69/3	0.400
102	0.060	69/4	0.400
125	0.100	69/5	0.400
26/3	0.120	46/1	0.400
69/6	0.160	44	0.400
15/1	0.160	90/2	0.400
15/2	0.170	95	0.400
15/3	0.170	43/2	0.400
		28/2	0.400
		89/2	0.400

(1)	(2)	(1)	(2)
83/3	0.400	126	0.190
81/2	0.100	35	1.060
84/2	0.120	36	1.090
146/1	0.280	89/1	1.130
146/2	0.450	86	0.640
26/4	0.470	22/2	0.910
26/2	0.470	101/2	0.320
40/2	0.500	22/3	0.920
24/3	0.500	101/1	0.320
123/3	0.500	66/2	1.250
7	0.530	72	1.250
75/3	0.560	5/3	1.250
16/3	0.200	5/1	1.260
16/5	0.390	14/3	0.080
75/2	0.630	66/1	1.260
83/1	0.490	24/5	0.130
132/1	0.670	24/6	0.620
132/2	0.680	25/2	0.130
64/2	0.180	25/3	0.130
78/2	0.520	25/4	0.130
65/2	0.200	25/5	0.130
77/2	0.500	81/1	1.280
64/1	0.170	29	1.360
78/1	0.530	90/1	1.370
65/1	0.200	122/1	0.230
77/1	0.510	137/1	0.240
123/1	0.730	2	1.450
9	0.800	24/1	1.160
14/2	0.800	25/1	0.300
121	0.820	120	1.010
27/2	0.820	31	1.480
71	0.890	84/1	1.520
139/2	0.200	19	1.530
105/2	0.210	92	1.300
106/2	0.050	117	0.250
37	0.900	27/1/1	1.640
105/1	0.210	79	1.700
106/1	0.050	41	1.720
98	0.470	73	1.740
66/3	0.980	34/1	1.750
94	0.980	12/1	1.860
16/1/1	0.980	8/1	0.790
119	1.000	17/1	0.930
85	0.640	38/1	0.210
47	0.410	122/2	0.820
55	1.040	137/2	1.110

(1)	(2)	(1)	(2)
93	1.930	69	1.480
28/1	0.660	69/1	1.400
57	1.020	114	0.210
8/2	0.800	40/1	0.510
17/2	0.930	10/1	0.490
38/2	0.210	26/1	2.350
8/3	0.800	योग : .	137.360
17/3	0.930	शासकीय भूमि . .	9.820
38/3	0.220	कुल योग . .	147.780
18/2	0.600		
42/2	1.520		
22/1	0.910		
100	0.460		
101/3	0.320		
134	0.220		
43/1	2.340		
5/2	2.460		
11	0.930		
52	1.170		
60	1.320		
18/1	1.030		
42/1	1.510		
59	2.620		
49	1.950		
61	2.810		
58	1.010		
62	1.290		
131	0.500		
20	0.890		
48	1.940		
56	1.240		
74/1	1.070		
82	0.790		
54	1.680		
63	0.720		
99	0.470		
30	1.020		
88/1	0.320		
21	1.490		
51	1.670		
97	0.470		
50/1	0.750		
80/1	1.290		
138/1	1.730		
80/2	1.460		
138/2	1.730		
		खसरा	भू-अर्जन हेतु
		नं.	प्रस्तावित रकवा
		(1)	(2)
		528	0.230
		596/2	0.380
		596/1	0.380
		585	0.600
		551	0.730
		372	0.080

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-34 (अ-82)2016-17-1303—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—मोहगांव रै.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—51.310 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी प.ह.नं. 141

(1)	(2)	(1)	(2)
649/3	0.410	661	2.180
584/2	1.200	योग . . .	48.260
588	1.280	शासकीय भूमि . . .	3.050
652	0.620	कुल योग . . .	51.310
659/1	0.490		
659/2	0.490	(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय	
594	1.380	कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.	
520	0.280		
667	1.370		
648/2	1.430	क्र.-भू-अर्जन-35 (अ-82)2016-17-1304—चूंकि, राज्य शासन	
648/2	1.430	को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
523/2	0.410	(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित	
659/3	0.490	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में	
649/1	0.400	किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस	
663/1	0.390	प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता	
649/2	0.410	नहीं है.	
663/2	0.390		
565	1.340	अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार	
595	1.170	और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के	
592	0.540	अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त	
510	0.840	प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
665	0.570		
657	0.990		
660	1.350		
590	0.650		
366	0.540		
526	1.350		
586	2.710		
666	2.740		
601	0.450		
523/1	3.000		
503	0.900		
511	0.380		
368	1.540		
512	0.300		
515	1.090		
516	1.260		
525	0.440		
367	0.720		
593	1.780		
522	0.550		
587	2.280		
662	2.230		
522	0.550		
587	2.280		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—अड़ई (रै.)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—72.945 हेक्टेयर, रा.नि.म. बम्हनी,

प.ह.नं. 111

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4	5
192	0.008
72	0.100
60	0.170
84	0.030
153/2	0.310
52/2	0.360
74	0.360
80	0.360
149	0.190

(1)	(2)	(1)	(2)
50	0.400	61	0.150
31	0.500	17	0.330
78	0.140	102	4.130
174	0.490	169	1.700
167/1	0.580	15	0.140
44	0.250	54	0.220
93/1	0.370	107	1.260
89/1	0.790	8	0.580
167/1/2	0.800	153/1	0.320
163/4	0.280	6	0.670
163/2	0.270	28	1.590
48	0.400	99	6.770
167/2	0.980	62	0.250
73	0.140	16	1.690
43	0.200	77	0.100
163/3	0.270	106	1.440
85	1.130	1	0.990
53	0.190	10	2.010
92/1	0.350	79	0.260
90	1.280	97	0.710
22	1.420	154	1.400
83	0.270	189	0.790
29	0.540		
184	1.650		
158	1.660		
168	1.670		
25	1.170		
88	0.170		
154	1.400		
104	0.700		
191	0.880		
26	1.650		
176	0.187		
98	2.320		
111	2.720		
112	1.400		
134	0.800		
156	2.820		
3	0.380		
105	3.000		
155	1.220		
51	0.630		
75	0.120		
63	0.430		
		योग . .	54.005
		शासकीय भूमि . .	18.940
		कुल योग . .	72.945

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-36 (अ-82)2016-17-1308—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—डुगरिया (रै.)	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—41.372 हेक्टेयर, रा.नि.म. बम्हनी, प.ह.नं. 129	369	0.210
	360	0.720
खसरा नं.	347/2	0.370
	349/2	0.360
	347/1	0.370
	349/1	0.360
	347/3	0.360
	349/3	0.370
	133/2	0.320
	386	0.670
	361/1	0.760
	352	0.800
	357	0.800
	325	0.800
	487/2	0.810
	487/1	0.820
	118/2	0.130
	118/3	0.200
	284/1	0.160
	359	0.960
	391	0.660
	142/1	1.050
	374	0.200
	139	0.880
	323	0.250
	129/3	0.210
	486/1	0.990
	129/1	0.220
	486/3	0.990
	129/2	0.220
	486/2	0.990
	372	0.300
	373	0.320
	364	0.460
	355	0.400
	284/2	0.070
	329	0.079
	370	0.210
	368	0.200
	367/4	0.170
	383	0.200
	331	0.690
	345	0.020
	367/2	0.170
	393/2	0.090
	483	0.520
	485	1.120
	393/3	0.100

(1)	(2)	(ग) ग्राम—खाम्ही माल	
388	0.380	(घ) लगभग क्षेत्रफल—136.012 हेक्टेयर रा.नि.म., बम्हनी,	
367/1	0.800	प.ह.नं. 131.	
393/1	0.090	खसरा	भू-अर्जन हेतु
138	2.320	नं.	प्रस्तावित रकबा
140	0.570	(1)	(हेक्टर में)
475	0.890	(1)	(2)
132	1.350	209	0.140
128	2.420	603	0.200
131	1.860	144	0.200
135	1.270	203	0.080
136	1.480	35	0.280
385	0.670	114	0.300
389	1.080	58/2	0.100
392	0.340	664	0.330
150	0.320	230	0.350
360/1	0.690	19	0.045
371	0.720	128	0.250
387	0.680	131	0.280
384	0.620	121/3	0.210
390	1.370	284	0.400
योग . .	30.304	23/2	0.400
शासकीय भूमि . .	11.068	8/2	0.400
कुल योग . .	41.372	8/3	0.400
		8/4	0.400
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय		746/1	0.310
कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.		30	0.330
क्र.-भू-अर्जन-37 (अ-82)2016-17-1310—चूंकि, राज्य शासन		726	0.470
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद		31	0.480
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित		54	0.300
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में		132	0.500
किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस		57	0.400
प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता		53	0.350
नहीं है.		90	0.550
		118	0.490
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार		98	0.560
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के		108	0.590
अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त		99	0.600
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		231	0.320
		665/4	0.210
अनुसूची		276	0.210
(1) भूमि का वर्णन—		215	0.610
(क) जिला—डिण्डौरी		282	0.610
(ख) तहसील—डिण्डौरी		18	0.380
		24	0.250

(1)	(2)	(1)	(2)
50	0.290	587	0.340
160	0.280	594	0.210
20	0.080	34	0.410
110	0.300	97	0.360
102	0.740	130	0.260
9	0.330	65	0.420
10	0.210	213	0.870
37	0.230	746/2	0.150
601	0.260	4	1.260
51	0.290	105	0.400
52	0.300	22	1.360
122/2	0.300	61	0.970
723/2	0.800	42	0.950
281	0.810	143	0.440
730	0.820	11	1.040
220	0.190	104	0.400
49	0.220	603/1	0.190
103	0.210	279	0.570
43	0.850	28/1	0.960
101	0.880	709	0.070
277	0.250	710	0.140
3	0.560	48	0.260
150	0.140	136	0.220
129	0.360	17/1	1.200
100	0.630	216	0.130
375/1	0.330	202	0.650
89	0.097	5	0.360
33	0.540	29	0.280
113	0.400	36	0.350
7	0.300	63	0.200
62	0.220	64	0.240
94	0.470	15	1.130
736	1.060	40	0.310
25	1.070	158	0.024
27/1	0.510	85	0.850
32	0.560	14	0.870
194	0.680	39	0.300
278	0.270	138	0.300
662	0.340	750	0.760
23/1	0.620	199	0.410
6	0.340	58/1	1.880
91	0.400	115	1.640
93	0.400	55	0.300
621	0.160	106	1.050

(1)	(2)
45/1	0.260
134	0.250
135	0.300
16	1.180
140	0.220
287	0.340
734	0.580
232/2	0.380
13	0.830
41	0.300
112	0.300
151	0.300
159	0.750
44/1	0.780
107/1	0.970
127	1.090
711	0.900
291	0.450
591	0.200
592	0.350
604	1.070
717	0.790
752	0.460
294	0.250
749	0.840
46	0.270
137	0.730
719	0.800
21	2.100
720	0.950
753	0.720
26/1	2.540
707	0.150
117, 739	0.280
67	0.031
124/1	0.150
125	0.210
126	0.270
292	0.370
590	0.420
755	0.620
92	0.540
119	0.910
123/1	1.360
139	0.160
2	3.500
286	2.030
745	0.260
725	0.940
116	0.290
120	0.230
738	
201	1.340

(1)	(2)
741	0.570
121/1	0.300
8/1	6.110
योग . .	107.482
शासकीय भूमि . .	28.530
कुल योग . .	136.012

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 25 नवम्बर 2016

क्र. 314-भू-अर्जन-2016. — चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—किरनापुर
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-मुरकुडा, प.ह.नं.-17, रा.नि.म.-किरनापुर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.034 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
351/2 सिंचित	0.064
351/3 सिंचित	0.064
351/4 सिंचित	0.064
366/7 सिंचित	0.081
366/8 -,,-	0.093
366/9 -,,-	0.133
271/14, 365/1 -,,-	0.059
271/7, 294/11, 365/2 -,,-	0.066
269/6, 271/15-16, 294/9,	0.187
294/7, 365/3	
271/28, 294/2, 294/15, 365/4 -,,-	0.151

(1)	(2)	13/2	0.016
272 सिंचित	0.413	94	0.040
273/2 -,,-	0.016	100/5	0.012
294/23 -,,-	0.020	100/6	0.012
293/1 सरकार घांस म. प्र. शासन	0.020	97/2	0.045
योग . .	1.034	97/1	0.028
		97/3	0.024
		95/2	0.089
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बम्हनगांव से पानगांव पुल सेतु निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.		100/2/2	0.012
		100/1	0.016
		93/3	0.040
		92/3, 92/4, 92/5-1	0.028
		92/3, 92/4, 92/5-2	0.028
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm balaghat@nic.in. एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है.		76/2	0.024
		77	0.028
		83/2	0.012
		82/1	0.073
		92/8	0.125
		81/2	0.020
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, रा. बालाघाट जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.		93/1	0.012
		84/1	0.028
		84/4	0.020
		84/3	0.016
		81/6क/1	0.005
		81/1ज	0.005
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.		81/1छ	0.016
		81/1थ	0.006
		81/1त	0.014
		योग . .	0.790

क्र. 314-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
 (ख) तहसील—बालाघाट
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-गोंगलई, प.ह.नं.-19, रा.नि.म.-हट्टा.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.006 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9/6	0.020
10/7	0.073

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बायपास मार्ग गोंगलई से नवेगांव सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm balaghat@nic.in. एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, रा. बालाघाट जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप मुख्य अभियंता (निर्माण) द.पू.म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

गणना-पत्रक

Jabalpur, the 7th December 2016

No. 1220-Confdl.-2016-II-3-1-2016.—The workshop for Chief Judicial Magistrates scheduled to be held on 23rd December 2016 in the M. P. State Judicial Academy, Jabalpur as per this Registry Order No. 1156-Confdl-2016-II-3-1-2016, dated 24th November, 2016 has been rescheduled.

The next date of the workshop will be communicated in due course.

By order of Honble the Acting Chief Justice
MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. A-4766-दो-2-56-2016.—श्री पी. एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 28 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 27 नवम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एन. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4768-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री ए. जे. खान, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 174 दिवस (एक सौ चौहत्तर दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

1. श्री ए. जे. खान, सेवानिवृत्त जिला : 28-10-1985
एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा
का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-11-2016
3. नियुक्ति दिनांक 28-10-1985 से : 01 वर्ष 04 माह
दिनांक 09-03-1987 तक 11 दिन.
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से : 29 वर्ष, 08 माह,
सेवानिवृत्ति दिनांक तक 20 दिन.
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित : 1×15=15 दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से).
6. कालम (4) में अंकित : 30=15×15=225 दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 240 दिन
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 66 दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 174 दिन
अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

क्र. C-4896-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03 इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 30 जून 2016 तक आठ माह की अवधि के लिए दस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-4898-दो-2-109-2006.—श्री प्रहलादसिंह पाटीदार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 1 से 3 दिसम्बर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रहलादसिंह पाटीदार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रहलादसिंह पाटीदार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4027-दो-2-58-2014.—श्री पी. सी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 17 से 19 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4029-दो-2-57-2015.—श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 2 से 10 दिसम्बर 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में 11 एवं 12 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4031-दो-2-57-2014.—श्री रवि कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 5 से 16 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रवि कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि कुमार नायक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4033-दो-2-6-2016.—श्री आर. एन. चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4035-दो-2-6-2012.—श्री बी. बी. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. बी. शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4037-दो-2-47-2010.—श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 21 से 26 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 नवम्बर 2016 के तथा पश्चात् में 27 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. E-4094-दो-2-2016.—श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 5 से 8 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4096-दो-2-48-2016.—श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2016 तक

दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री तारकेश्वर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4098-दो-2-30-2014.—श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 2 से 10 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव मंगल सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4100-दो-2-37-2014.—श्री ओम प्रकाश सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 7 से 10 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ओमप्रकाश सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओमप्रकाश सुनरया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4102-दो-2-48-2016.—श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 3 से 4 अक्टूबर 2016 तक दोनों

दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री तारकेश्वर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4105-दो-2-59-2013.—श्री एन. के. सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 20 से 24 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. सत्संगी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4107-दो-2-25-2014.—श्री इकबाल अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 28 सितम्बर से 7 अक्टूबर 2016 तक दस दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)/19/03/इक्कीस/ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. B-5916-दो-2-18-2015.—श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 26 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-5919-दो-3-3-2003.—श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 15 से 19 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 नवम्बर 2016 के एवं पश्चात् में दिनांक 20 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-5921-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 17 नवम्बर 2016 का एक दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. A-4764-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर, उच्च न्यायालय, इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 15 नवम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 14 नवम्बर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर, उच्च न्यायालय, इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो बजट ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4772-दो-2-70-15.—श्री मुकेश द्विवेदी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 नवम्बर 2016 से 26 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 नवम्बर 2016 से दिनांक 14 नवम्बर 2016 तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश द्विवेदी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 5th December 2016

No. C-4808-III-6-2-2016.—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh specially empowers the Judicial Magistrates of the first Class, named in the column 2 of the table below and posted at places mentioned in column 3 thereof for trial of cases as per the provisions of Section 260 of the Code summarily:—

TABLE

S. No.	Name of the Judicial Magistrates of the First Class	Place
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Ram Prasad Singh, Judicial Magistrate First Class.	Deosar (District Singrauli).
2.	Smt. Manju Singh, Judicial Magistrate First Class.	Shajapur
3.	Shri Alok Pratap Singh, Judicial Magistrate First Class.	Shajapur

By order of the High Court,
VIVEK SAXENA, O.S.D. (D.E.).